

steamer, by the name of "River Princess" was grounded at Condolim Beach, Goa, more than two years ago. For the last two years, I have been mentioning about it, several times, in this very House. I have also contacted the highest authorities of Coast Guards and also the officials of the Ministry of Environment, but no action has been taken so far. If this ship breaks down at its present location, it will pollute the entire magnificent beach, and the same may remain polluted for many years, endangering marine life, fish, and dolphins. Can I now expect that this ineffective Government will take some effective steps to remove the ship immediately without damaging the Condolim Beach? Thank you.

SHRI JANARDHANA POOJARY (Karnataka): Sir, I associate myself with the views expressed by my colleague.

Steps to prevent spreading of AIDS

श्री मोती लाल बोरा (छत्तीसगढ़): माननीय समापति जी, मैं आपकी अनुमति से अवलम्बनीय लोक महत्व के विषय का उल्लेख करना चाहता हूँ। देश में इस समय लगभग 40 लाख लोग एड्स से ग्रसित होने का अनुमान है। 1990 में यह संख्या मात्र 4 लाख थी। किन्तु राष्ट्रीय स्तर पर इस ओर विशेष ध्यान न दिए जाने के कारण इस संख्या में भारी वृद्धि हुई है। विश्व बैंक का अनुमान है कि आगामी दस वर्षों में एड्स पीड़ितों की संख्या में 6 गुना वृद्धि हो जाएगी, जो इस देश के लिए एक खतरे की घंटी है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि लोगों साथ ही सामाजिक संस्थाओं का भी भरपूर सहयोग लिया जाए। दूरदर्शन, आकाशवाणी, समाचार-पत्र आदि माध्यमों का भी आम जनता को एड्स के प्रति जागरूक बनाने के लिए अधिक से अधिक योगदान लिया जाना चाहिए, तभी इसे रोकना संभव हो सकेगा। जनता को एड्स के प्रति जागरूक बनाने के लिए सरकारी स्तर पर तो प्रयास किया ही जाए,

SHORT DURATION DISCUSSION

Steps taken by Government in pursuance of Motion adopted under Rule 170 by Rajya Sabha on the 6th May 2002 - Contd.

SHRI FALI S. NARIMAN (Nominated): Mr. Chairman, Sir, since yesterday, we have all been letting off much steam on this Short Duration Discussion, but article 355 has been overtaken by the events as Pranabda, very frankly, said whilst initiating the discussion yester. Even before this discussion started, the spotlight was on the Election Commission. It is still on the Election Commission, the exclusive constitutional functionary set up to conduct elections. Now, the Assembly has been dissolved by the Governor, and the stage is set for the operation of Section 15(2) of the Representation of People's Act. That section says:

"That the Governor shall, by one or more Notifications, published in the Gazette on such date or dates as may be recommended by the Election Commission, call upon all the constituencies in the State to elect members."

What this House recommends, Sir, is neither here nor there, the date or dates for the elections are to be recommended by the Election Commissioner, and the State Governor's notification will have to say so.

But, what if -- and that is a big 'if' -- the Governor, which really means the State Government, issues the Notification despite the recommendations of the Election Commission to hold the elections at a date later than September or October.

And, my respectful answer is, that a recommendation is never oral, it is in writing, and obviously the Election Commission will give reasons why it so recommends; and since nothing remains a secret in this country, -- regrettably, not even Cabinet papers -- the country is bound to come to know ultimately what the Election Commission had recommended.

Whatever it recommends, I would say to my hon. friends on my right that as you know and I know, elections are inevitable in Gujarat, whether in September or October or next February, and we cannot simply wish them away with speeches. If you do not win the hearts of the people of Gujarat now, if you do not convince them that in Gandhiji's Gujarat Babu was right in his concept of India and Godse was wrong, I am afraid, you will have lost the elections whether now or in next February.

Sir, what article 174 of the Constitution says or does not say has, I believe become totally irrelevant, whatever lawyers may say. It will be for the court which will decide in God's good time, only after the elections, and not before.

As for imposition of President's rule, under article 356, I believe, Sir, this is a wishful thinking. It has only once been imposed after an Assembly was dissolved in Kerala in 1970, and only when the care-taker Chief Minister, Shri Achutta Menon, actually resigned. If Shri Narendra Modi, the care-taker Chief Minister, is sporting and has the confidence in himself, he can do an Achutta Menon act, because after President's rule was imposed in Kerala and elections were held, Achutta Menon's party, the CPI, won and Achutta Menon became the Chief Minister again!

Let us face the facts. Let us face reality. The Home Minister, now the Deputy Prime Minister, has authoritatively said in the other House,

yesterday, that elections are going to be held -- whether we wish it or do not wish it -- and if you believe in democracy, as we must all, I would urge the hon. Members to realise that neither party can win elections in Gujarat. In this house, for this reason alone, the discussion has become sterile.

But, having said this, I must also urge my friends on the Treasury Benches and those who support them that it is now time to lower the rhetoric. You may or you may not win elections in the short term by generating hate and causing anguish. But, believe me, you cannot and you will not, in the long run, win elections merely on policies of hate; you will win elections only on policies of performance.

The hon. Member, the former Law Minister, Shri Arun Jaitley, said that they want to go back to the people. Well, the Governor has granted them this. But, remember, the triumph will not be if you win the elections. If you win the elections, you will have a BJP Government in Gujarat, but you already had one. Your real triumph will be, if you can say that the majority of the minority community voted for BJP. Then only, and then only, I believe, will the BJP become a mature political party in this country.

I have many friends in the Government. I have great regard and respect for the hon. Deputy Prime Minister, whom I happen to know for more years than I can remember. Sir, we were opposing each other in the Supreme Court about some 30 years ago when I was with Government. And amongst all the advocates. On the other side, he happened to be advocating the cause of the then Janata Party, as the Secretary, and he made the best argument. I said so to the Chief Justice. Therefore, to a person of his intellect and integrity, which I greatly respect, I would urge that we must now lower the rhetoric on all sides and try to see whether we cannot achieve this and run this country, carrying with us one hundred per cent of the population, whichever Government runs it. Let us not try to run it on the basis that there is a large segment of the population which is not with this country. I refuse, Sir, to accept this. Why not say frankly -- that is what I would have said -- "we have not yet restored the confidence amongst the minorities, but we are trying very hard." I was happy to see an interview by the new President of the BJP in this morning's *Times of India*. I hope he has been correctly reported. He said, and I quote: "We will make a special effort to get the minorities' support without compromising on our belief in justice for all and appeasement of none." I would say: 'Hear, hear; good.' Let us see more of this. Why not open a new chapter? Make a special effort to win the support of the minorities,

and you would have won the hearts of the people and, possibly, you might, with luck even win the elections.

Last May I had requested the Home Minister to appoint a sitting Judge of the Supreme Court to deal with the complaints of the minorities in Gujarat. He had then queried whether it would be right constitutionally, to appoint a sitting Supreme Court Judge when a High Court Judge had already been appointed by the State Government. I had, a little impertinently, suggested that he pick up the phone and tell Mr. Narendra Modi that the Central Government desired to appoint a sitting Supreme Court Judge, as recommended by the Minorities Commission; he would find that Mr. Modi would definitely oblige, and there would be no constitutional problem. But, alas, it was not to be. After a month or so, a retired Supreme Court Judge was appointed, not in the place of the retired High Court Judge, not by the Central Government, but by the Gujarat Government, and in addition to the High Court Judge already appointed. Sir, this bicycle for two, one with a larger wheel and the other with a shorter wheel, has not even started functioning. Not suprisingly. I would respectfully request the hon. Minister to consider whether the Government really wishes to restore the confidence of the minorities.

I read yesterday that you are not letting Amnesty in. Why not? Obviously, you do not have anything to hide. I would request the hon. Home Minister, with his vast experience, not to do this; it will be totally counter-productive. Whenever Amnesty makes a report against Pakistan, we all applaud it and now we deny its members visas for India. Why are you doubting your own persuasiveness? Some of the individual members of the Government are most persuasive. Mr. Arun Shourie, for instance, can make the eternal Himalayan snow melt by his remarks. Why not ask him to accompany the Amnesty members on a tour of Gujarat? With special effects from Mr. Shourie, you will be able to make new friends and influence people in the United States, the Great Britain and the European countries. And, believe me, it is these countries that count in the world of today, whether you or I or the Left like it or not.

The brute majority principle, in a secular democracy, does not attract me. And I do not accept this. I will plead with you and with the members of the Treasury Benches, please have a vision of a multi-cultural India: if not for anything else, at least you will never be able to avoid it, not with the present population trends. Thank you.

MR. CHAIRMAN: Shri K. Natwar Singh.

SHRI K. NATWAR SINGH (Rajasthan): No, Sir. I don't want to speak.

श्री सुनील शास्त्री (उत्तर प्रदेश) : माननीय सभापति महोदय, कल से गुजरात पर चर्चा हो रही है और आज मुझे अवसर मिला है। इस चर्चा में भाग लेने के लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करना चाहूंगा।

मैं इस बात को यहां पर स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि हमारे विपक्ष के सदस्यों ने जिस तरह से कल से चर्चा में भाग लिया है और अपनी बातों को कहा है मुझे समझ में नहीं आता कि जब आज हम सब गुजरात में स्थिति को देख रहे हैं, निरंतर सामान्य स्थिति पैदा होती जा रही है, हर कार्य वहां पर लगभग सुचारु रूप से सम्पन्न हुआ है, अगर आप देखें पंचायत के जो चुनाव हुए, जिस समय पंचायत के चुनाव होने जा रहे थे उस समय विरोधियों का यह आरोप था कि हम पंचायत एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन शांतिपूर्वक ढंग से 1700 पंचायतों में चुनाव सम्पन्न हुए। उसके बाद जब वहां पर परीक्षाएं शुरू हुईं उस समय भी विरोधी यही हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे कि अगर परीक्षाएं हुईं तो जो भी छात्र-छात्राएं परीक्षा में आएंगे उनकी जान को खतरा है, उनके जीवन को खतरा है। श्रीमन्, मैं इस सदन में कहना चाहता हूँ कि 98 प्रतिशत छात्र-छात्राओं ने परीक्षाओं में भाग लिया और परीक्षाएं भी शांतिपूर्वक ढंग से सम्पन्न हुईं। जब जगन्नाथ रथ यात्रा की बात हुई तब भी विरोधियों के द्वारा यह कहा गया कि अगर यह यात्रा की इजाजत दी जाती है, तो वहां पर दंगे-फसाद का एक माहौल फिर से उत्पन्न हो सकता है। मैं कहना चाहूंगा कि बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से जगन्नाथ रथ यात्रा भी वहां पर निकली और हर व्यक्ति ने, चाहे वह किसी भी समुदाय का क्यों न हो, सब ने उसमें भाग लिया। मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि वहां पर 1970 से लगभग 400 से कहीं अधिक दंगे गुजरात में हुए हैं। जब यह गोधरा का दंगा हुआ, मैं कहूंगा कि गोधरा के पश्चात् शेष गुजरात में जो दंगे हुए वे शर्मनाक थे। उनकी हम निंदा करते हैं। लेकिन साथ ही मैं इस बात को भी गर्व के साथ यहां पर कहना चाहूंगा कि हमारी भाजपा की सरकार, नरेन्द्र मोदी की सरकार ने स्थिति पर 72 से 80 घंटे के अंदर काबू पा लिया था और 18 हजार गांवों में से केवल 70 ऐसे गांव थे जहां पर इस तरह की हिंसक घटनाएं हुईं। लेकिन निरंतर सार्थक प्रयासों के माध्यम से, पॉजिटिव स्टेप्स जो हमारी केन्द्र सरकार ने लिए, जब प्रदेश सरकार ने सहायता मांगी तो केन्द्र सरकार ने सहायता दी और प्रदेश सरकार ने भी पूरी तरह से जागरूकता बरतते हुए बड़ी मजबूती के साथ स्थिति को सामान्य बनाने का प्रयास किया। आज मैं गर्व के साथ और पूरी तरह से इस बात का दावा करता हूँ कि आज गुजरात में स्थिति सामान्य है। मैं नहीं समझ पाता कि आज हमारे सभी माननीय सदस्य जो यहां पर बैठे हैं, विशेष तौर से मैं विरोधी पक्ष के सांसदों की तरफ अपनी बात का ध्यान लाते हुए कहना चाहूंगा कि आज लोकतंत्र की बात जब हम करते हैं, तो लोकतंत्र का सब से बड़ा हथियार श्रीमन्, आज वोट है, जब हम जनादेश की बात कर रहे हैं, तो हमारे मुख्य मंत्री ने अगर विधान सभा को भंग किया और विधान सभा को भंग करने की बात जहां तक है, तो वह कोई नई बात नहीं है, पहले भी कई अवसर ऐसे आए हैं जब विधान सभाओं को भंग किया गया है और फ्रेश चुनाव वहां पर हुए हैं। अभी हमारे माननीय सदस्य नारीमन जी ने भी इस बात का जिक्र किया है कि कई बार ऐसा हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ कि कई बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई हैं जबकि विधान सभाओं को भंग किया गया है और नए आदेश प्राप्त किए

गए हैं। आज गुजरात में भी जब सामान्य स्थिति है, हमारे कई माननीय सदस्यों ने कहा कि गोआ की कार्यकारिणी में हम लोगों ने ऐसी बात को रखा था, मैं कहना चाहता हूँ कि गोआ की कार्यकारिणी में पूरी तरह से आम सहमति इस बात की थी कि जितना जल्दी से जल्दी हो स्थिति को सामान्य बनाने के पश्चात् हम वहां पर गुजरात में जनादेश प्राप्त करें और जो एक भ्रम इस समय पैदा कर रहे हैं चाहे वह हमारा प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे हमारे विरोधी पार्टी के लोग हों इस तरह का भ्रम पैदा कर रहे हैं कि एक अशांत वातावरण गुजरात में है, गुजरात कभी भी सामान्य नहीं हो सकता, उसको दूर करने का तरीका केवल एक ही है कि हम वहां पर जल्द से जल्द जनादेश प्राप्त करें, चुनाव में जाएं और लोगों का विश्वास प्राप्त करें। श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूँ कि आज वहां यह स्थिति है और गुजरात में सामान्य स्थिति होने के पश्चात् ही हमारे मुख्य मंत्री ने वहां विधान सभा भंग करने की सिफारिश की जिसे राज्यपाल जी ने स्वीकार किया है। इस तरह आज ऐसी परिस्थिति आ गयी है जब कि गुजरात में चुनाव होना अनिवार्य है। महोदय, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि चुनाव होने के पश्चात् ही गुजरात के नागरिकों को और ज्यादा लाभ मिलेगा और वहां अगर विकास के काम में यदि किसी प्रकार की कमी दिखाई है तो उस से विकास की गति को पुनः शक्ति मिलेगी।

महोदय, इस के साथ ही साथ मैं इस बात को भी कहना चाहूंगा कि कल हमारे माननीय उप-प्रधान मंत्री श्री आडवाणी जी ने लोक सभा में इस बात को स्पष्ट किया ... (व्यवधान)...

श्री नीलोत्पल बसु (पश्चिमी बंगाल): सर, लोक सभा का जिक्र यहां नहीं हो सकता है, उन्हें इस बात को समझना चाहिए।

MR. CHAIRMAN: He is not yielding.

SHRI NILOTPAL BASU: He was yielding.

श्री सुनील शास्त्री : मुझे जानकारी नहीं थी। महोदय, मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि हमारे कुछ साथियों ने कहा कि इलेक्शन कमीशन पर हमारा दबाव है। महोदय, हम इलेक्शन कमीशन को स्वतंत्र संस्था मानते हैं, टोटली इंडिपेंडेंट मानते हैं और इलेक्शन कमीशन जो फैसला लेता है, उसे सभी मानते हैं। लेकिन पता नहीं किस बात को लेकर हमारे विपक्ष के साथियों ने इस बात का जिक्र सदन में किया कि हम इलेक्शन कमीशन पर किसी तरह का दबाव डाल रहे हैं। श्रीमन्, जहां तक इलेक्शन कमीशन का सवाल है, इलेक्शन कमीशन अपने आप में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और वह गुजरात चुनाव की जो भी तारीख निश्चित करेगा, वह केवल हम लोगों को ही नहीं बल्कि सभी राजनीतिक पार्टियों को मान्य होगी। ... (व्यवधान) ... संभाषित महोदय, मैं यहां कहना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन से हमारा प्रतिनिधि मण्डल जरूर मिला था और उस ने अपनी बातों को रखा है, लेकिन जहां तक उस के फैसले का प्रश्न है, एक निर्णय का प्रश्न है, As far as a decision is concerned, it is the Election Commission totally, which will take a decision in regard to Gujarat elections. और जब गुजरात चुनाव के बारे में उस का फैसला होगा तो हम सभी को वह फैसला मान्य होगा और उसी के अनुसार हम सभी को चुनाव में जाना होगा।

श्रीमन्, इन्हीं शब्दों के साथ मैं केवल इतना ही आग्रह करना चाहूंगा कि जितनी जल्दी वहां चुनाव होगा, गुजरात की स्थिति ज्यादा बेहतर होगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रिंट मीडिया और अन्य बातों से जो एक भ्रम पैदा हुआ है, वह भी दूर होगा और हमारा गुजरात पुनः विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (बिहार): समापति महोदय, कल से हो रही इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप ने मुझे अवसर दिया, इस के लिए मैं आप के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।

महोदय, गोधरा की घटना के बाद गुजरात में जो सांप्रदायिक घटनाएं हुईं, उन घटनाओं की निंदा पूरे देश ने की है। वह एक शर्मनाक घटना थी जिस के लिए हम सभी ने 6 मई को सदन में एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया था। तत्पश्चात् कल की कार्यसूची के मुताबिक उस प्रस्ताव पर आगे चर्चा करनी थी, लेकिन उस चर्चा का विषय और केन्द्रबिंदु कल से बदल गया और वहां गुजरात की सरकार ने विधान सभा भंग करने की जो अनुशंसा की उसे राज्यपाल जी ने स्वीकार किया। महोदय, इस विषय में चर्चा प्रारंभ हुई और वह गुजरात में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने तक पहुंची। महोदय, कल की चर्चा में राज्यपाल जी के कार्य पर भी टीका-टिप्पणी हुई। महोदय, कल अरुण जी ने भी बताया था कि चूंकि पिछले पांच-छह महीने के दौरान पूरे देश में जो एक माहौल बना था उसके बाद गुजरात की सरकार ने सोचा होगा कि अब जनादेश प्राप्त करना आवश्यक है और उस जनादेश को प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया के अनुरूप उन्होंने राज्यपाल महोदय को अनुशंसा भेजी। संविधान के जो प्रावधान हैं, उनके मुताबिक उस अनुशंसा को स्वीकार करने के लिए राज्यपाल महोदय बाध्य हैं, लेकिन उसको लेकर भी राज्यपाल महोदय पर टीका-टिप्पणी हुई। हम लोगों को याद है, कई असंवैधानिक कार्य कांग्रेस के शासन में राज्यपालों द्वारा किये जाते रहे हैं। हरियाणा की घटना, जब हम बहुत छोटे थे, हमको स्मरण है, तपासे साहब वहां गवर्नर हुआ करते थे, चौधरी देवी लाल जी चुनाव के बाद बहुमत वाली पार्टी के नेता थे, लेकिन तपासे साहब ने चौधरी देवी लाल जी के बजाय किसी दूसरे दल के नेता, जो अल्पमत में थे, को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। बहुत सारे असंवैधानिक कार्य उस दौरान हुए, लेकिन गुजरात के राज्यपाल ने जो काम किया है, वह संविधान के दायरे में रहकर किया है। ... (व्यवधान)...

समापति महोदय, नीलोत्पल जी अभी बोल रहे थे। गुजरात में हिंसा की बात हो रही है कि हिंसा के आधार पर वहां राष्ट्रपति शासन लगाएं। जब पश्चिमी बंगाल में पिछले दिनों विधान सभा के चुनाव हो रहे थे तो वहां हिंसा का पूरा तांडव हो रहा था, राजनैतिक हत्याएं हो रही थीं, तो वहां क्यों नहीं राष्ट्रपति शासन लगा? सवाल यह नहीं है कि गुजरात में चुनाव हों या पश्चिमी बंगाल में चुनाव हों तो राष्ट्रपति शासन लगे। यह एक सैद्धांतिक सवाल है। इस पर अगर आम सहमति होती है, सारे दल मिलकर यह फैसला करते हैं कि जिन राज्यों में विधान सभा के चुनाव हों, वहां राष्ट्रपति शासन के अधीन चुनाव हों तो यह एक सैद्धांतिक निर्णय होगा और तब इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती।

समापति महोदय, गुजरात में जो घटनाएं हुईं, उस पर चर्चा के बजाय चर्चा को दूसरी दिशा में ले जाया गया है। आज यह एक परंपरा कायम हो गई है कि इस तरह की जो सांप्रदायिक निंदनीय घटनाएं हैं, उससे वोट बैंक ठीक करने का रास्ता बनाया जाए। एक ऐसी प्रवृत्ति कायम हो गई है, एक परंपरा बन गई है, जो इस देश के लिए खतरनाक स्थिति पैदा

करेगी। अगर हम इस तरह की घटनाओं के समाधान के लिए, स्थाई निदान के लिए कोई निर्णय लेने के बजाय उससे वोट बैंक ठीक करने का तरीका अपनाएंगे तो इससे आगे के लिए इस देश में एक खतरनाक स्थिति पैदा होगी।

समापति महोदय, आज कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक सांप्रदायिक पार्टी है। ...*(व्यवधान)*...

श्री जीवन राय (पश्चिमी बंगाल) : इसमें कोई शक नहीं।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : जीवन राय जी, आप इस बात का जवाब दें कि वर्ष 1989 में जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो कोलकाता के मैदान में जब आपकी पार्टी के नेता ज्योति बसु जी और अटल जी हाथ उठाकर फहरा रहे थे तो उस समय भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक पार्टी थी या सेकुलर पार्टी थी? उस समय भारतीय जनता पार्टी आपके लिए सांप्रदायिक पार्टी नहीं थी बल्कि सेकुलर पार्टी थी। यह तो वोट बैंक ठीक करने का नजरिया हुआ। लालू प्रसाद जी अभी यहां नहीं हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि वर्ष 1990 में विधान सभा के चुनाव के बाद जब बिहार में उन्होंने सरकार बनाई थी तो वह भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बनाई थी। आज वह सबसे बड़े सेकुलर नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक पार्टी है। समस्या वह नहीं है, समस्या यह है कि हमारे देश में जो सांप्रदायिक सद्भाव, सांप्रदायिक माहौल खराब हुआ है, उसको ठीक करने के लिए, उसके स्थाई समाधान के लिए मिलकर बैठकर कैसे एक रास्ता निकाला जाए। तो आइए, इस समस्या पर बैठिए, बैठकर विचार कीजिए। जहां तक गुजरात का प्रश्न है, गुजरात में चुनाव घोषित है। आप चलिए, मैदान में लड़िए। जिसको जितना जनता का समर्थन प्राप्त होगा, उतना चुनाव जीतकर आ जाएगा।...*(व्यवधान)*...

SHRI JIBON ROY: We do not change. ...*(Interruptions)*... We are in the same position. ...*(Interruptions)*...

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : चलिए, आप लाचार हैं। गुजरात के मामले के स्थाई समाधान के लिए जो कुछ भी करने का है, उसके लिए सरकार ने यह एक कदम आगे बढ़ाया है। ...*(व्यवधान)* ...

SHRI JIBON ROY: Why don't you capitalise on it for the sake of votes?

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : महोदय, इस सदन में पिछली बार 6 मई को एक प्रस्ताव आया, सरकार ने सर्वसम्मति से उस प्रस्ताव को स्वीकार करने का काम किया और प्रस्ताव पेश किया। माननीय गृह मंत्री जी, जो आज देश के उप प्रधान मंत्री भी हैं, इन्होंने सार्वजनिक तौर पर सारी चीजें स्वीकार कीं और कहा कि गुजरात में यह घटनाएं हुई हैं, ज्यादतियां हुई हैं, बलात्कार हुए हैं। कहीं किसी की मंशा कुछ छिपाने की नहीं है। राहत के मामले में मुझे इस बात को कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि राहत के मामले में वहां कमजोरियां रही हैं और जब माननीय प्रधान मंत्री जी वहां गए तो उन्होंने वहां पर कहा कि राहत के मामले में राजधर्म का पालन होना चाहिए। यह इस बात का प्रमाण है कि हम कुछ छिपाना नहीं चाहते थे, सरकार किसी बात को छिपाना नहीं चाहती थी। हमारे देश की जो सभ्यता और संस्कृति है,

उस सम्यता और संस्कृति के अनुसार जो घर का बड़ा होता है, परिवार का मुखिया होता है, उसकी बराबर जिम्मेदारी होती है कि वह अपने घर के सदस्यों और विशेष रूप से छोटी की रक्षा करे और यदि वह उनकी रक्षा करने में असफल होता है तो परिवार टूट जाता है, परिवार बिखर जाता है, देश का अहित होता है। इसी तरह से आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने देश के अल्पसंख्यकों की रक्षा करें। अब वह रक्षा उन्हें कैसे प्रदान करें, उनमें कैसे विश्वास पैदा करें, कैसे देश में साम्प्रदायिक संदभाव का माहौल पैदा हो, इसके लिए कोई स्थायी समाधान ढूँढा जाना चाहिए और उस समाधान के लिए सरकार ने सकारात्मक रास्ता अपनाया है, सकारात्मक कदम उठाया है और विपक्ष को भी चाहिए कि वह टीका-टिप्पणी छोड़कर चुनाव मैदान में जाए और सरकार के सकारात्मक कदम का साथ दे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और आपने जो मुझे समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

श्री संघ प्रिय गीतम (उत्तरांचल) : आदरणीय सभापति महोदय, 6 मई, 2002 के संकल्प का क्रियान्वयन हुआ या नहीं हुआ, यह एक मुद्दा है, मुख्य मंत्री ने अपनी सरकार का इस्तीफा दिया और विधान सभा को भंग करने की सिफारिश की, यह दूसरा मुद्दा है और तीसरा मुद्दा यह है कि राज्यपाल महोदय ने विधान सभा को भंग किया। ये तीनों काम सही हैं या नहीं, औचित्यपूर्ण हैं या नहीं, संवैधानिक हैं या असंवैधानिक, इन पर चर्चा होनी चाहिए। मैं अपने विचार व्यक्त करने से पहले दो तथ्य आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी 1995 में पूर्ण बहुमत के साथ पहली बार गुजरात में चुनाव जीती थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी केशुभाई जी के नेतृत्व में। कांग्रेस के लोग या अन्य दलों के लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके, हमारे ही बीच में से एक हमारे साथी विद्रोही हो गए, बगावत कर गए, 47 विधायकों को लेकर चले गए और उनको समर्थन देकर इन्होंने उनकी सरकार बनवानी चाही, लेकिन जब परेड हुई राज्यपाल महोदय के निवास के परिसर में, तब भी भारतीय जनता पार्टी का बहुमत था, एक सदस्य ज्यादा था, लेकिन तत्कालीन राज्यपाल ने हमारे उस तथ्य को * होकर नकार दिया और इनके समर्थन से उनकी सरकार बनवा दी। थोड़े दिन बाद इन्होंने अपना समर्थन वापिस ले लिया। समर्थन वापस लेने के लिए जो मेमोरैंडम दिया था, मैं अर्थेटिकेट करूंगा, उसमें इन्होंने कहा था (The memorandum was submitted at the end of October, 1997 under signature of Shri Amarsinh Chaudhary and Late Shri C.D. PATEL, the then President of the State Congress.

"We, as leaders of the Congress Party.....

मैं उतना ही पोरशन पढ़ रहा हूँ।

"While extending unconditional support, what weighed with us was not any power sharing formula but larger consideration of providing a stable, clean, efficient, democratic and secular Government for Gujarat. We

* Not recorded.

painfully observe that the present State Government has failed in achieving any of the aforesaid objects."

जो कम्युनल थे, सैकुलर नहीं थे, वही वधेला साहब आज इनके प्रेजिडेंट हैं। This is the state of affairs, this is the real thing. उसके बाद फिर वही उनके साथ चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी इनको चारों खाने चित्त करके बहुमत में आई और फिर सरकार बनी और केशुभाई पटेल मुख्य मंत्री बने। ..(व्यवधान)

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, I want to make a point. ...*(Interruptions)*... Sir, I want to just point out...*(Interruptions)*...

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: I am not yielding, please. अगर कोई शब्द अनपार्लियामेंटरी है तो मैं उस शब्द को वापिस लेता हूँ, उसको कार्रवाई से निकाल दीजिए। ...*(व्यवधान)*...

SHRI NILOTPAL BASU: I am addressing to the Chair. ...*(Interruptions)*... Sir, I want to make a submission on this. ...*(Interruptions)*... Sir, it is a procedural question. ...*(Interruptions)*...

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: Sir, I am not yielding. I am not yielding ...*(Interruptions)*...

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, I want to bring to your kind attention...*(Interruptions)*...

SHRI B.P. SINGHAL (Uttar Pradesh) : He is not yielding. ...*(Interruptions)*...

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, I want to draw your attention to the fact that the time allotted to the BJP is exhausted. ...*(Interruptions)*... Now he is speaking on borrowed time. ...*(Interruptions)*... Therefore, I want to draw your attention to this fact. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please sit down. It is true that the time allotted to the BJP is over. But he will finish within five minutes. Then, the hon. Deputy Prime Minister will reply.

श्री संघ प्रिय गौतम : सभापति महोदय, मेरी एक प्रार्थना है कि 8 मिनट के बजाय इन्होंने 23 मिनट दिए थे, यह रिकॉर्ड पर है देख लीजिए ...*(व्यवधान)* ...

श्री नीलोत्पल बसु : 8 मिनट नहीं, बल्कि हम 21 मिनट तक बोले लेकिन उसमें 10 मिनट आप बोले थे ...*(व्यवधान)* ...

श्री संघ प्रिय गौतम : मान्यवर, मेरे पास सारा रिकॉर्ड है । लालू जी ने 8 के बजाय 23 मिनट लिए थे, कांग्रेस ने 20 मिनट ज्यादा लिए ...*(व्यवधान)* ...

श्री सभापति : अच्छा, अब आप अपनी बात कहिए ।

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: Sir, I will take six or seven minutes more.

MR. CHAIRMAN: You take five minutes.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: Sir, I will take only five minutes.

MR. CHAIRMAN: You take four minutes. Then, Advaniji will reply.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: Sir, I will take only five minutes.

MR. CHAIRMAN: Then the hon. Deputy Prime Minister will reply.

श्री संघ प्रिय गौतम : सभापति महोदय, 1996 में लोकसभा के चुनाव हुए । गुजरात में लोकसभा की 21 सीटें हैं, जिनमें 16 सीटें बी.जे.पी. ने जीतीं । फिर जब 1998 में लोकसभा के चुनाव हुए तो बी.जे.पी. ने गुजरात में लोकसभा की 19 सीटें जीतीं । फिर 1999 में जो लोकसभा के चुनाव हुए, उनमें बी.जे.पी. ने 20 सीटें जीतीं । इस तरह लगातार बी.जे.पी. चुनाव जीतती रही है ...*(व्यवधान)* ...

MR. CHAIRMAN: Mr. Basu, why do you waste the time? ...*(Interruptions)*... Let him complete. ...*(Interruptions)*...

SHRI NILOTPAL BASU: We will recommend your name as a historian for Gujarat. ...*(Interruptions)*...

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल : चेयर की आज्ञा का पालन होना चाहिए ...*(व्यवधान)* ...

श्री संघ प्रिय गौतम : मान्यवर, ये जो दो बातें आईं, इनमें पहली बात तो यह है कि धारा 163 में यह कहा गया है कि, "There shall be a Council of Ministers to aid and advise the Governor in his functions". आजकल कोई भी गवर्नर स्वतंत्र नहीं है । वह केवल aid and advice पर काम करेगा । तो सरकार ने उनको aid and advise किया कि आप विधानसभा को भंग कर दो और उन्होंने विधानसभा को भंग कर दिया ...*(व्यवधान)* ...

MR. CHAIRMAN: He is winding up. ...*(Interruptions)*...

SHRI B.P. SINGHAL: Sir, please ask Mr. Basu to sit down. ...*(Interruptions)*...

SHRI NILOTPAL BASU: He is spreading it.

MR. CHAIRMAN: No. He is winding up.

1.00 p.m.

श्री नीलोत्पल बसु : सभापति महोदय, मैं नम्रतापूर्वक बताना चाहता हूँ कि 4 मिनट हो चुके हैं ...*(व्यवधान)* ...

श्री संघ प्रिय गौतम : सभापति महोदय, मैंने तो आज तक कभी सदन की गरिमा को ठेस नहीं पहुँचाई है, I challenge him to face me on any subject. ...*(Interruptions)*... I am contributing something. ...*(Interruptions)*... He is disturbing me. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Mr. Basu, let us hear him. ...*(Interruptions)*... Why do you waste the time? ...*(Interruptions)*....

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, I don't accept the challenge. I have the best of relations with him. ...*(Interruptions)*... I don't accept the challenge. ...*(Interruptions)*...

SHRI B.P. SINGHAL: Sir, the person who is wasting the time should be asked to sit down. ...*(Interruptions)*...

श्री संघ प्रिय गौतम : सभापति जी, मैं यह कह रहा था कि गवर्नर केवल एक जगह डिस्ट्रिक्शन ऐप्लाई कर सकता है। जैसे कि अविश्वास के प्रस्ताव में कोई सरकार हार जाए और इस्तीफा न दे तो वहाँ पर उसका इंडिविजुअल जजमेंट होगा और वहाँ पर उसको डिस्ट्रिक्शन होगा लेकिन सामान्य मामलों में सरकारिया कमीशन ने अपनी रिपोर्ट के पेज 119 पर खुद यह कहा है कि जब चीफ मिनिस्टर मैजोरिटी को कमांड करता है और वह रिकमेंड करता है कि विधानसभा को भंग कर दिया जाए तो उसकी सिफारिश गवर्नर पर बाइंडिंग है। यहाँ पर हमारा चीफ मिनिस्टर मैजोरिटी को कमांड करता है और उसने जो सिफारिश की है, It is binding on the Governor. इसलिए गवर्नर ने सही जजमेंट लिया है। तो मुख्यमंत्री का जजमेंट सही है, निर्णय सही है, कृत्य सही है और गवर्नर का भी कृत्य सही है। जहाँ तक संकल्प के क्रियान्वयन का सवाल है, उस दिशा में ज्यादातर सही कदम उठाए गए हैं। इस दिशा में प्रयास जारी हैं और वहाँ सामान्य स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है। चुनाव कराने का काम तो चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग अपने आप उसे तय करेगा और हम उसे मानेंगे। इसलिए मैं इनके विचार का, इनके भाव का खंडन करता हूँ और हमारी सरकार ने जो काम किया है उसकी सराहना करता हूँ। मुख्य मंत्री और राज्यपाल के कृत्य की भी मैं सराहना करता हूँ।

SHRI SANTOSH BAGRODIA (Rajasthan): Mr. Chairman, Sir, I will straightaway put questions and raise some points. (1) To whom will the caretaker Government be answerable if something goes wrong before the election is held in Gujarat in order to preserve the unity and harmony of the people in the State? (2) List of all those 60 victims of the Sabarmati Express massacre. (3) Tabling of the forensic report. (4) Total number of persons now staying in the camps. (5) What is the total amount of the

Prime Minister's package which has been spent and in what direction? (6) What are the reasons for issuing cheques of Rs. 25/-, Rs. 50/-, Rs. 100/- etc. to the victims? (7) Why were the women terrorised by persons who assaulted them, not to get the FIR registered and that too publicly in the camp? (8) Why have the people been killed while returning to their homes? (9) Why has the IDRF fund from the USA been channelised to support the activities of the VHP and the RSS? (10) Why didn't the Governor, knowing full well that article 355 was in operation, send a report to the Union Government and allowed the same person to function as the caretaker Chief Minister against whose Government article 355 had been used? (11) How would the missing people's identity be found and the actual status be known? (12) How would you ensure that the people get back their Identity Cards and those who lost their Ration Cards and could not go back to their homes would figure in the list of voters? (13) Does the Home Minister think that full normalcy has been restored and the State is ready for elections? Thank you.

MR. CHAIRMAN: Shri L.K. Advani. *...(Interruptions)...*

SHRI NILOTPAL BASU: It was agreed in the meeting with the Parliamentary Affairs Minister that the reply would be at 2 o'clock and the discussion would be over before the lunch break. Sir, now we can break for lunch. *...(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: It was decided at that time *...(Interruptions)...*

SHRI NILOTPAL BASU: No, Sir. It was not decided. *...(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: Please hear me. It was decided that we would finish the debate during the lunch hour... *...(Interruptions)...*

SHRI NILOTPAL BASU: We had discussed it with the Minister of Parliamentary Affairs in the morning and it was decided that the hon. Home Minister would reply at 2 o'clock.

MR. CHAIRMAN: No. It was decided that the House would continue through the lunch hour *...(Interruptions)...*

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, we have a meeting. *...(Interruptions)...* When it was decided that the reply would be at 2 o'clock, we agreed to it. It was decided that the discussion would over before the lunch break *...(Interruptions)...*

उपप्रधान मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): नीलोत्पल जी, भोजन के लिए ज्यादा नहीं रुकना पड़ेगा। मैं छोटा ही भाषण दूंगा।

श्री नीलोत्पल बसु : आडवाणी जी, हमारी मीटिंग है हम आपको बतलाना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)* ...

MR. CHAIRMAN: It was decided that we would sit through the lunch hour and finish it so that the Government Business could be taken up. after that. ...*(Interruptions)*...

SHRI NILOTPAL BASU: No, Sir. ...*(Interruptions)*... It was decided that the reply would be at 2 o'clock. Nobody is here. ...*(Interruptions)*...

SHRI AHMED PATEL (Gujarat): Sir, the Leader of the Opposition is not here. He is busy in a meeting. ...*(Interruptions)*...

SHRI NILOTPAL BASU: The Minister of Parliamentary Affairs had spoken to the leaders of different political parties. It was decided that the reply would be at 2 o'clock. ...*(Interruptions)*... Now the leaders of various political parties are not here. ...*(Interruptions)*...

SHRI AHMED PATEL: Sir, the Leader of the Opposition is busy in a meeting. ...*(Interruptions)*...

श्री टी.एन. चतुर्वेदी (उत्तर प्रदेश): अब लीडर आफ दि ओपोजिशन नहीं हैं। सुबह यह पूछ रहे थे। ... *(व्यवधान)*...

श्री नीलोत्पल बसु : चतुर्वेदी जी, पार्लियामेंट्री एफेयर्स मिनिस्टर से बात हुई है कि जवाब दो बजे होगा। ... *(व्यवधान)* ...

SHRI AHMAD PATEL: The Leader of the Opposition should also be present...*(Interruptions)*... We were under the impression that the reply would be at 2 o' clock...*(Interruptions)*...

श्री टी.एन. चतुर्वेदी : कोई न कोई बहाना सुबह से चल रहा है। अगर आपको वाकआउट करना है तो अलग बात है। ... *(व्यवधान)* ...आज क्वेश्चन ऑवर में भी इसी तरह से किया गया। सुबह कैसला हुआ था। ... *(व्यवधान)* ...

MR. CHAIRMAN: Let me tell you something; the House can decide otherwise. What was decided was that we would sit through the lunch hour and finish it...*(Interruptions)*... This was decided in the Chamber...*(Interruptions)*... You can change it if you like...*(Interruptions)*...

SHRI NILOTPAL BASU: Sir, we had a discussion with the Parliamentary Affairs Minister, it was decided that the reply would be at 2 o' clock. You can call him...*(Interruptions)*...

SHRI B.P. SINGHAL: How can the Chair be challenged?

MR. CHAIRMAN: I have told the House what was decided in my Chamber...(Interruptions)...

SHRI NILOTPAL BASU: We had a discussion with the Parliamentary Affairs Minister, and an impression was given that the reply would be at 2 o' clock, when we pointed out that we have a meeting with the Minister of Information and Broadcasting as regards the Cable Networks (Amendment) Bill at 1 o' clock, and we also said that we have no problem skipping the lunch hour, provided the reply was at 2 o' clock...

MR. CHAIRMAN: I have not been told about that...(Interruptions)...

The Minister has come now. Let us hear him.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTRE OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI PRAMOD MAHAJAN): Sir, both the things are true. We had decided to sit through the lunch hour, at the same time, hon. Members met me in the lobby and informed me about a meeting that they have with the Information and Broadcasting Minister in connection with some Government Business. So, I said that. I presumed that the six Members, who were left to speak, would speak for a little longer time and the reply would, automatically, go beyond 2 o' clock, though I am grateful to them for making their speeches short and, I suppose, this will continue in future as well. Sir, you adjourn the House till 2 o' clock, and exactly at 2 o' clock, we can have the reply.

MR. CHAIRMAN: As a matter of fact, the Minister of Parliamentary Affairs did not inform me about this...

SHRI PRAMOD MAHAJAN: I presumed that these six Members would speak for long...

MR. CHAIRMAN: But I was not informed about this.

SHRI PRAMOD MAHAJAN: Sir, I am sorry for it.

श्री रमा शंकर कौशिक (उत्तर प्रदेश): श्रीमान्, यह बात सही है कि यहां तय हो गया था कि आज लंच नहीं होगा। परन्तु यह बात आपको बतलानी चाहिए थी।

MR. CHAIRMAN: The House is adjourned for one hour.

The House then adjourned for lunch at nine minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at ten minutes past two of the clock,
[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAMA SHANKER KAUSHIK) in the Chair.]

उपसभाध्यक्ष (श्री रामा शंकर कौशिक) : माननीय उप प्रधान मंत्री जी भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीन गुजरात राज्य में हस्तक्षेप एवं 6 मई, 2002 को राज्य सभा द्वारा नियम 170 के अधीन स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसरण में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा 23 जुलाई, 2002 को आरम्भ की गई चर्चा का जवाब देने।

उप प्रधान मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, प्रणब मुखर्जीजी और अन्य माननीय सदस्यों का मैं बहुत आभारी हूँ कि एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में कल और आज यह चर्चा चली। यह तीसरी बार है जब सदन ने गुजरात के दंगों के विषय में चर्चा की है। पहली बार तो घटनाक्रम जब से शुरू हुआ 27 फरवरी उसके थोड़े दिन बाद 11 मार्च को चर्चा हुई थी। दूसरी बार मई के महीने में जब भी वहाँ पर घटनाओं का सिलसिला कुछ मात्रा में जारी था, बंद नहीं हुआ था तब 6 मई को वहाँ पर चर्चा हुई और चर्चा के अंत में एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पास हुआ कि केन्द्रीय सरकार अनुच्छेद 355 के अंतर्गत वहाँ पर हस्तक्षेप करे। एक प्रकार से आज की चर्चा और कल की चर्चा, वह 6 मई के प्रस्ताव के स्वीकृति होने की करोलेरी है। यद्यपि किसी ने सही कहा कि चर्चा ज्यादा केन्द्रित हो गई इस बात पर कि वहाँ की सरकार ने राज्यपाल से सिफारिश की कि विधान सभा को भंग करके चुनाव कराये जाएँ। उसी के बारे में काफी मत और विमत प्रकट किए गए।

मैं पहली बात तो यह कहना चाहूँगा कि अगर धारा 355 के अधीन वहाँ पर कार्यवाही करने का प्रस्ताव पारित न भी होता, केन्द्रीय सरकार कोई भी हो, उसके ऊपर अनुच्छेद 355 एक जवाबदेही डालता है, वह प्रस्ताव के कारण नहीं होता। अगर वह प्रस्ताव न भी होता तो भी अनुच्छेद 355 हमारे ऊपर जवाबदेही डालता है। इसीलिए मैंने उस दिन भी कहा था कि अगर हमने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया, उसका कारण यह नहीं था कि बहुमत नहीं है, उस सदन में बहुमत है, इसमें बहुमत नहीं है इसलिए मान लो। अगर वह प्रस्ताव पारित न भी होता, तो भी जो उसके शब्द हैं, वे हमारे ऊपर एक ड्यूटी कॉस्ट करते हैं कि अगर अग्रेसन हो, एक्सटरनल एग्रेसन हो या इंटरनल डिस्टर्बेंस हो या फिर वहाँ का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा हो, इन तीन परिस्थितियों में आपकी जवाबदारी है कि आप वहाँ पर इंटरवीन करें। अब वहाँ की जो परिस्थिति थी उसको मैं मानता हूँ that it comes under the cover of internal disturbance. सेंटर-स्टेट रिलेशन्स पर जो अधिकृत दस्तावेज आज तक माना जाता है सरकारिया आयोग जो श्रीमती इंदिरा गांधी ने नियुक्त किया और उसके बाद से लेकर के लगातार इंटर-स्टेट काउन्सिल जिसके अध्यक्ष प्रधान मंत्री जी हैं और जिसमें सारे हिन्दुस्तान के मुख्य मंत्री भी हैं, वे इसके आधार पर केन्द्र-राज्य संबंधों के बारे में लगातार चर्चा करते रहे हैं, कार्रवाई करते रहे हैं। इसकी अधिकांश सिफारिशें लगभग स्वीकार हो गयी हैं, इम्प्लीमेंट भी हो गयी हैं। धारा 355 के बारे में इन्होंने काफी कुछ कहा है। लेकिन मैं उसमें से जो पर्टीनेंट पैराग्राफ्स हैं, उनको पढ़कर सुना दूँगा तो उसमें से ध्यान में आएगा कि धारा 355 के अधीन हस्तक्षेप करने का जब संकल्प सरकार करती है या विचार करती है तो क्या कुछ करती है, क्या कुछ करना चाहिए।

डा० अबरार अहमद (राजस्थान) : अगर आप अपना दायित्व मानते थे तो राज्यपाल से रिपोर्ट क्यों नहीं मांगी ?

श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" : आप चुपचाप सुनिए ।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : आप मत बोलिए । ... (व्यवधान) ... अबरार साहब, आप बैठ जाइए । कुछ लिखा नहीं जाएगा ।

डा० अबरार अहमद : *

SHRI L. K. ADVANI: On page 170, paragraph 6.3.14 it says, "Under article 355, a whole range of action on the part of the Union is possible depending on the circumstances of the case, the nature, the timing and the gravity of the internal disturbance. In some cases, advisory assistance by the Union to the State for the most appropriate deployment of its resources may suffice. In more serious situations, augmentation of the State's own efforts by rendering Union assistance in men, material and finance may be necessary." This is the most serious case. अलबत्ता आगे यह कहा गया है कि "Normally, a State would actively seek assistance of the Union to meet such a crisis. However, as already noted above, the scope of article 355 is wide enough to enable the Union to render all assistance, including deployment of its Armed Forces, notwithstanding the fact that the State Government has not made any specific request." यह अंतर है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट हमसे आर्मी मांगे तो हम भेज देते हैं लेकिन 355 एक प्रकार से केन्द्र को यह अधिकार देता है कि अगर उसका असेसमेंट यह है कि वहां पर आर्मी की जरूरत है और स्टेट ने मांगी भी नहीं है तो उसे वहां आर्मी भेज सकने का अधिकार है। "The Union will be entitled to do so on its own motion in discharge of its paramount responsibility under article 355. Action to be taken by the Union may include measures to prevent recurrence of such a crisis." आगे कहते हैं :

"This, in short, is the legal position," -- and, then he goes on to say in the Report -- "Nevertheless, it must be remembered that what is legally permissible may not be politically proper. Situations of internal disturbance can effectively be tackled only through concerted and coordinated action of the Union forces and the State instrumentalities concerned. In practice, before deploying," -- this is their recommendation -- "its forces in a State, the Union should sound the State Government and seek its cooperation."

* Not recorded.

SHRI KAPIL SIBAL (Bihar): Mr. Home Minister, if you don't mind, I am seeking the permission of the Chair.

SHRI L.K. ADVANI: I am sorry, I have read the whole thing.

SHRI KAPIL SIBAL: No, no; I am giving you 6.3.11, Sir. I am reading it. It says, "Where in a situation of internal disturbance in a State, action under article 356(1) is considered unnecessary or inexpedient, the Union Government has the power to deploy its forces *suo motu* under its control ...*(Interruptions)*...

SHRI L.K. ADVANI: I know that. Sir, I am not yielding. ...*(Interruptions)*...

श्री राजू परमार (गुजरात): सही बात होती है तो आप बोलना शुरू कर देते हैं। ...*(व्यवधान)* ...सही बात हमेशा कड़वी लगती है। ... *(व्यवधान)* ...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): ये यील्ड नहीं कर रहे हैं। आप बैठिए। ...*(व्यवधान)* ...

SHRI KAPIL SIBAL: No, no. This subjective reading will not do. ...*(Interruptions)*... I am reading from the very Report from which the Deputy Prime Minister is reading. ...*(Interruptions)*... मुझे पढ़ने तो दीजिए। ... *(व्यवधान)*...

The Deputy Prime Minister must answer whether the Chief Minister was himself perpetrating violence in Gujarat. Why did the Union Government not intervene? Mr. Modi was perpetrating violence in Gujarat. Why did he not intervene? ...*(Interruptions)*...

श्री संघ प्रिय गौतम: शोर क्यों मचा रहे हो। बाक आउट करना है तो चले जाओ।

SHRI KAPIL SIBAL: This is your responsibility. I am talking about the Sarkaria Commission Report. ...*(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): ये यील्ड नहीं कर रहे हैं.....वे यील्ड नहीं कर रहे हैं.....आप बैठिए।

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, I am grateful to the hon. Deputy Prime Minister for yielding. I would like to quote another paragraph of the Sarkaria Commission Report. I am reading paragraph 6.3.11 and I quote:

Where in a situation of internal disturbance in a State action under article 356(1) is considered unnecessary or unexpedient, the Union Government has the power to deploy its forces *suo motu* under its

control to put it down, i.e., to put the internal disturbance down, to restore peace."

I ask the Deputy Prime Minister: Did the Union Government not consider the situation in Gujarat--perpetrated by its own Chief Minister--enough for the Union to intervene there and then on February 26-27? Why did they not do so? ...*(Interruptions)*... Because, this was done at the instance of...*(Interruptions)*... There was no deployment of forces. ...*(Interruptions)*...

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: The Minister has not completed his reply. ...*(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): कपिल जी, आपने अपनी बात कह दी, अब आप बैठें । ... (व्यवधान) ...

मौलाना ओबैदुल्लाह खान आजमी (मध्य प्रदेश): वहां सब कुछ होता रहा, राज्यपाल से रिपोर्ट क्यों नहीं मांगी गई ? ... (व्यवधान) ...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : आजमी साहब अग्रिम बैठें... आप आसन ग्रहण करें ।

श्री अर्जुन सिंह (मध्य प्रदेश): महोदय, सभी लोग बैठ जाएंगे लेकिन यह तो हम लोग जानना चाहेंगे ... (व्यवधान) ... हमें इनफॉर्मेशन तो दीजिए । हम स्पेसिफिकली यह जानना चाहते हैं कि ... (व्यवधान) ...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): अब आप उनकी बात तो सुनें ।

श्री अर्जुन सिंह (मध्य प्रदेश): महोदय, हमारी बात सुनने लायक नहीं है क्या ?

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): आप वही बात कह रहे हैं जो कपिल साहब ने रखी है या आपकी बात अलग है ?

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, मैं यह कह रहा हूँ कि जब यह प्रस्ताव पारित हुआ और यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ ...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): तो अभी उनकी बात पूरी कहाँ हुई है?

श्री अर्जुन सिंह : आप सुन तो लीजिए, वह तो भूल-भुलैया की बात है ।... (व्यवधान) ... जो बातें उस प्रस्ताव को ... (व्यवधान) ...

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल : महोदय, क्या यह भूल-भुलैया की बात है ?

श्री अर्जुन सिंह : उपसभाध्यक्ष महोदय, जब प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार हुआ उस वक्त कुछ उत्तरदायित्व अपने आप से ... (व्यवधान) ...

श्री राजनाथ सिंह "सूर्य" (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, जब इनकी बारी आए तब ये बोलें ।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): मंत्री जी यील्ड कर रहे हैंमाननीय मंत्री जी बैठे हैं, आप बैठें ।

श्री सुरेश पट्टीरी : जब मंत्री जी यील्ड कर गए तो फिर इनको क्या आपत्ति है ?

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : माननीय मंत्री जी बैठे हैं, वे यील्ड कर रहे हैं । ... (व्यवधान) ...

श्री अर्जुन सिंह : राजनाथ जी, आप कृपा करके आसन ग्रहण करें ।

भोलाना ओबैदुल्लाह खान आजमी : महोदय. ... (व्यवधान) ...

श्री अर्जुन सिंह : सर, इसलिए यह जानना जरूरी है कि जब आपने ... (व्यवधान) ...

कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि एवं न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : ऐसी हल्की बातें न करें आप आजमी साहब... ऐसी हल्की बातें आप करते हैं ? ... (व्यवधान) ...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : माननीय राज्य मंत्री जी, आपको ऐसा करना शोभा नहीं देता है । ... (व्यवधान) ... आजमी साहब, आप बैठिए । ... (व्यवधान) ... माननीय राज्य मंत्री जी, आपको यह शोभा नहीं देता है कि आप इस ढंग से बोलें । माननीय मंत्री जी यील्ड कर रहे हैं ।

श्री अर्जुन सिंह : उपसभाध्यक्ष महोदय ... (व्यवधान) ...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): अर्जुन सिंह जी, वैसे अच्छा यह हो कि जब माननीय उप-प्रधान मंत्री जी का भाषण पूरा हो जाए तब आप कोई स्पष्टीकरण पूछना चाहें तो पूछें ।

श्री अर्जुन सिंह : उपसभाध्यक्ष महोदय, अगर शुरू से ही वे ऐसे चैनल में जा रहे हैं जहां ये सब चीजें गौण हो जाएं तो फिर हम क्या पूछेंगे ?

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): नहीं, आप बाद में उनसे पूछ सकते हैं ।

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, सवाल यह है कि जब ... (व्यवधान) ...

श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" : पहले सुन तो लीजिए ।

श्री अर्जुन सिंह : उनको सुनने तो दीजिए । मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, माननीय उप प्रधान मंत्री जी से कह रहा हूं । मैं यह कह रहा हूं कि प्रमोद महाजन जी ने उस समय हम

लोगों की ओर अपनी भी पीठ थपथपाई थी कि हम सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव ला रहे हैं और एक वातावरण हम बना रहे हैं। उस वातावरण में जो उचित है, वह किया जाएगा और स्थिति को सामान्य किया जाएगा। वास्तविकता यह है कि वातावरण तो कहने की बात हुई... (व्यवधान)... भई, टोका-टोकी से ही करना हो तो हमको ही हक बनता है... (व्यवधान)... उपसभाध्यक्ष महोदय, यह पुलिस परेड ग्राउंड नहीं है और माननीय बीपीएस बीजेपी नहीं है, इस सदन के सदस्य हैं, जैसे हम सदस्य हैं, वैसे ही वे सदस्य हैं। आपने कोई विशेषाधिकार इनको दिया है तो हमको मालूम हो जाए।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : आप कहिए।

श्री अर्जुन सिंह : सवाल यह है कि उन परिस्थितियों में जब वह प्रस्ताव मंजूर हुआ। जो जिम्मेदारी आप कहते हैं वैसे ही हमारे ऊपर थी, इसमें कोई दो राय नहीं हैं। लेकिन उस जिम्मेदारी की ओर राज्य सभा ने संकेत दिया, ध्यान दिलाया और आपने भी स्वीकार किया। फिर उस जिम्मेदारी को आपने कैसे निभाया? अगर यह प्रश्न आज नहीं उठेगा तो फिर कैसे उठेगा। लेकिन सवाल यह है कि हम लोगों ने तो देख लिया है। वह जिम्मेदारी एक ही तरह से निमाई गई कि विधान सभा भंग हो गई। अब कहते हैं कि चुनाव करें। बाकी वहां पर क्या हुआ, उसका कोई जिक्र माननीय उपप्रधानमंत्री जी नहीं कर रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : अब करेंगे।

श्री अर्जुन सिंह : कैसे करेंगे? अब वे तो चले गए... (व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : अब आप आसन ग्रहण करें। माननीय उपप्रधानमंत्री जी। ... (व्यवधान)...

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : आपकी बात सही है नीलोत्पल जी, जो बातें पहले कही गई हैं, सरकार की ओर से उत्तर दिया जा चुका है, मैं उनको दोहराऊंगा नहीं। अभी सिब्बल जी ने जो पैराग्राफ पढ़कर सुनाया, जो मैंने दूसरा पैराग्राफ पढ़कर सुनाया, उसमें लगभग वही बात है, भाषा अलग-अलग है। इसमें कोई नई बात नहीं है कि सरकार अपनी ओर से भी कर सकती है, सुओ मोटो कर सकती है। यह उसमें है... (व्यवधान)...

श्री नीलोत्पल बसु : हमको प्रस्ताव पारित करना पड़ा... (व्यवधान)...

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अच्छा छोड़िए... (व्यवधान)... क्योंकि यहां पर, मुझे याद है अच्छी तरह से कि मेरे साथी अरुण जेटली ने उदाहरण देकर प्रमाणित किया था कि जितनी शीघ्रता से आर्म्ड फोर्स को गुजरात की सरकार ने आमंत्रित किया और जितनी शीघ्रता से वहां पहुंच गई... (व्यवधान)... यहां तक सीमा से... (व्यवधान)... पहले कभी नहीं हुआ। यहां तक कि सीमा पर लगे हुए लोगों को वहां पर भेजा गया। हम सहमत नहीं हैं... (व्यवधान)... उपसभाध्यक्ष जी, मेरा कर्तव्य यह है कि... (व्यवधान)...

श्री जीवन राय : सर... (व्यवधान)...

डा. अबरार अहमद : सर...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : जीवन राय जी...(व्यवधान)...आप बैठिए।
...(व्यवधान)...अबरार साहब बैठिए...(व्यवधान)...

श्री कपिल सिब्बल : सर...(व्यवधान)...

श्री रमा शंकर कौशिक : कपिल साहब, इनको अपना भाषण पूरा करने दीजिए। आपको स्पष्टीकरण का मौका दिया जाएगा। यह उचित नहीं है कि बीच-बीच में आप टोकना शुरू कर दें।
...(व्यवधान)...आप बैठें...(व्यवधान)...आप आसन ग्रहण करें। ...(व्यवधान)...जीवन राय जी आप आसन ग्रहण करें। आप बैठें...(व्यवधान)...

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : एक सामान्य धारणा बनी कि 27 तारीख को गोधरा में जो घटना हुई, उसके बाद पूरा गुजरात उससे प्रभावित हो गया और पूरे गुजरात में सब जगह साम्प्रदायिक तनाव हुआ, साम्प्रदायिक घटनाएं हुई, साम्प्रदायिक हिंसा हुई...(व्यवधान)...

डा. अबरार अहमद : वहां पर जो घटना हुई, उसकी सच्चाई को क्यों नहीं बोलते हैं...(व्यवधान)...

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : विधान सभा की कुल 182 सीटें हैं जिनमें से 103 सीटें ऐसी हैं, जहां पर किसी भी प्रकार की साम्प्रदायिक घटना नहीं हुई...(व्यवधान)...

श्री कपिल सिब्बल : अभी आपने कहा गुजरात में घटनाएं हुई...(व्यवधान)...

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : आज जो बहस हुई है, इससे एक धारणा बनी है। मैं उसके विपरीत बोल रहा हूँ। जो धारणा बनी है वह यह है कि जैसे मानो गुजरात भर में सांप्रदायिक दंगे हुए, सांप्रदायिक हिंसा हुई जबकि मैं घटनाक्रम बता रहा हूँ कि 27 की घटना के बाद भी कुल मिलाकर विधान सभा के 103 चुनाव क्षेत्र ऐसे थे जहां पर कोई घटना नहीं हुई...(व्यवधान)...

श्री नीलोत्पल बसु : ये किसके आंकड़े हैं ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : ये सरकारी आंकड़े हैं।

श्री नीलोत्पल बसु : ये किसके आंकड़े हैं ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : सरकारी आंकड़े हैं, सरकार का आंकड़ा है
...(व्यवधान)...

श्री प्रेम गुप्ता (बिहार) : बहुत अच्छा ...(व्यवधान)...

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मार्च के महीने में इस प्रकार की 79 कांस्टीट्यूएन्सीज थीं, जहां पर हिंसा हुई लेकिन 31 मार्च तक पहुंचते-पहुंचते इनमें से 52 ऐसी हो गईं जहां पर शांति हो गई। अग्रे चलकर 30 अप्रैल के बाद केवल तेरह या चौदह ऐसी बर्चीं जहां पर घटनाएं होती रहीं ...(व्यवधान)...

श्री नीलोत्पल बसु : उपसभाध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : नहीं, यह व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है ...(व्यवधान)...

श्री नीलोत्पल बसु : किसने दिए हैं ...(व्यवधान)...

DR. ALLADI P. RAJKUMAR (Andhra Pradesh): Sir, the hon. Deputy Prime Minister should be allowed to speak...(Interruptions)...Why are they interrupting him unnecessarily?...*(Interruptions)*...He should be allowed to speak..*(Interruptions)*...

श्री नीलोत्पल बसु : यह व्यवस्था का प्रश्न है।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : यह गलत है ...(व्यवधान)...आप बैठिए...(व्यवधान)...मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूँ ...(व्यवधान)...आप बैठिए ...(व्यवधान)...मैं इजाजत नहीं दे रहा हूँ...(व्यवधान)...

श्री राजू परमार : आप बताइए...(व्यवधान)...क्या किया ...(व्यवधान)...

श्री विक्रम वर्मा (मध्य प्रदेश) : ये सुनना नहीं चाहते हैं...(व्यवधान)...

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : नहीं सुनना चाहते ...(व्यवधान)...तो मैं चला जाता हूँ ...(व्यवधान)...

श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" : उपसभाध्यक्ष जी, ये व्यवस्था की बजाय अव्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री जीवन राय : बोल दीजिए ...(व्यवधान)...कुछ नहीं हुआ ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : जीवन राय जी, आप बैठिए ...(व्यवधान)...परमार साहब आप बैठिए, मीणा जी आप बैठिए ...(व्यवधान)...

श्री राजू परमार : क्या हुआ, हाउस को यह बताइए ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : आप बैठिए, आप बैठिए, देखिए, किसी भी प्रश्न का उत्तर बीच में नहीं दिया जाएगा, आप उनका भाषण सुनिए । किसी को प्रश्न पूछने की इजाजत बाद में दी जाएगी, जब उनका भाषण हो जाएगा । उससे पहले आप बीच में कोई टोका-टाकी नहीं करेंगे । आप शांति से बैठिए और भाषण सुनिए ।

श्री नीलोत्पल बसु : व्यवस्था का प्रश्न तो उठाना पड़ेगा ।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : बाद में, बीच में नहीं होगा ।

डा. अबरार अहमद : ये जो बता रहे हैं ...(व्यवधान)...उसका क्या है ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : अबरार जी, आप बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस कर

रहे हैं ...*(व्यवधान)*...आसन ग्रहण कीजिए, चलिए...*(व्यवधान)*...आप शांत रहिए ...*(व्यवधान)*...

श्री जीवन राय : कुछ पूछ रहे हैं ...*(व्यवधान)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : जीवन राय जी ...*(व्यवधान)*...

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अनुच्छेद 355 के अधीन अगर केंद्रीय सरकार का यह दायित्व था कि वहां पर जो आंतरिक स्थिति पैदा हुई, इंटरनल डिस्टर्बेन्स हुई, उसे रोके, उसके लिए उन्हें आवश्यक सहायता दे, अगर उन्हें आर्मी चाहिए तो आर्मी प्रोवाइड करे, और कोई मैटीरियल चाहिए तो वह भी प्रोवाइड करे। वह करने के कारण ही यह परिणाम हुआ कि मार्च-अप्रैल तक पहुंचते-पहुंचते बहुत थोड़ा-सा हिस्सा बचा जहां पर हिंसा शेष थी। इसी कारण मैं ये आंकड़े दे रहा हूँ। नहीं तो आज कम से कम एक बहुत बड़ा अंतर है कि पिछली बार जब बहस हुई थी तो वहां हिंसा जारी थी। आज वहां हिंसा नहीं है। इधर-उधर घटनाएं होती रहती हैं लेकिन आप उसे हिंसा नहीं कह सकते। वे घटनाएं तो देश में होती हैं ...*(व्यवधान)*...

श्री राजू परमार : अहमदाबाद में क्या हो रहा है...*(व्यवधान)*...

श्री संघ प्रिय गौतम : उपसभाध्यक्ष जी, आप उन्हें कंट्रोल कीजिए ...*(व्यवधान)*...

एक माननीय सदस्य : सुनना नहीं चाहते ...*(व्यवधान)*...केवल आरोप लगाना चाहते हैं...*(व्यवधान)*...बहस करना चाहते हैं ...*(व्यवधान)*...

श्री टी.एन.चतुर्वेदी : इसीलिए हाउस को एडजर्न करवाया था ...*(व्यवधान)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : नेता विरोधी दल।

THE LEADER OF THE OPPOSITION (DR. MANMOHAN SINGH): Mr. Vice-Chairman, Sir, we do want a structured, serious debate. We are very keen to listen to the hon. Deputy Prime Minister, whatever he has to say. You may agree or not, but our charge, in this side of the House is that we have, in Gujarat, a Government which is seeking to manage...*(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : ...*(व्यवधान)*...नहीं, नहीं ...*(व्यवधान)*...नेता विपक्ष बोल रहे हैं आप लोग बैठिए ...*(व्यवधान)*...तब भी उन्हें बैठता। आप बैठिए ...*(व्यवधान)*...आप कृपा करके बैठिए ...*(व्यवधान)*...

DR. MANMOHAN SINGH: We want specific answers to specific questions. The question that agitates us, and, I believe, the whole country, is, what I am going to try to phrase. Our charge is that you have, in Gujarat, a Government which is seeking to manage this country's politics by unleashing terror. We may be right; we may be wrong. ...*(Interruptions)*...

SHRI B.P. SINGHAL: You are wrong. ...*(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कीशिक): आप बैठिए...(व्यवधान)...आप आसन ग्रहण करें...(व्यवधान)...आप लोग भी बैठिए। आपके नेता खड़े हैं...(व्यवधान)...नेता विपक्ष बोल रहे हैं।...(व्यवधान)...देखिए, मैं नेता सदन और नेता विपक्ष से यह अनुरोध करूंगा कि कृपया अपने सदस्यों को बताएं कि जब नेता विपक्ष बोलते हैं या कोई माननीय मंत्री जी जवाब देते हैं...(व्यवधान)...आप बैठिए। जब मैं बोल रहा हूं आप फिर भी खड़े हैं आप बैठिए। आप आसन ग्रहण करें। मैं नेता विपक्ष अथवा नेता सदन दोनों से अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया अपने सदस्यों को रोकें। बीच में टोकाटोकी न करें। नेता विपक्ष के बोलते हुए सत्ता पक्ष के लोग टोकाटोकी न करें और माननीय मंत्री जी के बोलते हुए नेता विपक्ष अपने सदस्यों को रोकें कि टोकाटोकी न करें। उनका पूरा भाषण सुनें। नेता विपक्ष।

DR. MANMOHAN SINGH: Sir, I was saying that our charge -- maybe you don't agree with it -- is that, in Gujarat, you have a Government which is seeking to manage the politics of this country by unleashing terror. ...*(Interruptions)*... This is a Government, which, in our view, is trying to capitalise on violence, in which the Chief Minister is an active perpetrator. ...*(Interruptions)*... We all talk about democracy. In our view, the democracy is premised on the confidence of the people. People, particularly the minorities, must feel secure enough and vote without fear. I would like to put you a specific question: whether the conditions in Gujarat are such that minorities feel secured, and they would be induced to come out and vote. ...*(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कीशिक): देखिए, मैं अब नेता विपक्ष से यह अनुरोध करूंगा कि कृपया अपने सदस्यों से आप कहें कि टोकाटोकी न करें।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: उपसभाध्यक्ष जी, मैं अगर अपना भाषण 20 मिनट में, 25 मिनट में या आधे घंटे में दे देता, उसके बाद नेता विपक्ष खड़े होकर ये ही सवाल पूछते तो उचित था, और भी लोग पूछ सकते थे। कल इतनी बातें कही गयीं और आज उनका जवाब मैंने जब देना शुरू ही किया है तो उस समय इस प्रकार की टोकाटोकी हुई जिससे मुझे आभास मिला कि लोगों ने कुछ तय करके रखा है और मुझे सुनना नहीं चाहते हैं और अभी जो सवाल पूछा गया..।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अभी जो सवाल पूछा गया...(व्यवधान)...अब ये टोकाटाकी करेंगे...(व्यवधान)...नहीं करेंगे...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कीशिक) : आप बैठिए ।...(व्यवधान)...

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अगर सवाल यह है...(व्यवधान)...प्लीज़, आप बैठिए । आपके नेता ने बात कही है कि क्या इस समय जो वहां के मुख्य मंत्री हैं, वहां जो सरकार है, उनके अधीन क्या प्रामाणिक चुनाव होंगे, तो मैं कहता हूं कि हां, होंगे ।...(व्यवधान)...यह उन्होंने स्वयं नहीं माना...(व्यवधान)...आपकी राय अलग हो सकती है...(व्यवधान)...मेरी राय अलग है और मैं आपको कह सकता हूं...(व्यवधान)...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Sir, this is unfair. ...*(Interruptions)*... Sir, this is unfair. ...*(Interruptions)*...

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : इसी साल में पंचायतों के चुनाव हुए हैं ...*(व्यवधान)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : माननीय नीलोत्पल बसु ...*(व्यवधान)*...

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : इसी साल में पंचायतों के चुनाव हुए हैं ...*(व्यवधान)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : देखिए, आप बैठाइये । ...*(व्यवधान)*... यह कोई तरीका नहीं है । ...*(व्यवधान)*... कृपा करके बैठिए । ...*(व्यवधान)*...

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : 75 प्रतिशत लोगों ने वोट दिए । ...*(व्यवधान)*... चुनाव कराना इलेक्शन कमीशन का दायित्व है ।

श्री राजू परमार : बहुत भारी पड़ेगा ...*(व्यवधान)*... आपको बहुत भारी पड़ेगा ।

SHRI JIBON ROY: He is breaking the Constitution and you are supporting it. ...*(Interruptions)*... You are breaking the Constitution. ...*(Interruptions)*... They are trying to bank on the carnage. ...*(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : देखिए, अगर आपको नहीं सुनना है तो आप जा सकते हैं । *(व्यवधान)* ... आपको छूट है कि आप जा सकते हैं, लेकिन आपको भाषण सुनना पड़ेगा । *(व्यवधान)* ... बैठिए, आप आसन ग्रहण करें । *(व्यवधान)* ... आपको भाषण सुनना पड़ेगा । *(व्यवधान)* ...

श्री लालू प्रसाद : उपसभाध्यक्ष महोदय, हम लोग यहां सुनने के लिए बैठे हैं और जो देश का सही सवाल है वह हम लोग जानना चाहते हैं । जो वहां के गवर्नर हैं और वहां पर जो * मुख्य मंत्री हैं, क्या उनके रहते यह चुनाव होने वाला है ? *(व्यवधान)* ... तब क्या यह फेयर चुनाव होगा ? *(व्यवधान)* ...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : नहीं, पहले आप उनका भाषण सुनिए । ...*(व्यवधान)* ...

श्री लालू प्रसाद : क्या बात करते हैं *(व्यवधान)* ... यह जवाब आना चाहिए*(व्यवधान)* ... वहां कोई आगे नहीं जा रहा है, माइनारिटी को मार रहे हैं, दंगा-फसाद करा रहे हैं । यह सब क्या है ? *(व्यवधान)* ... क्या वहां जबर्दस्ती चुनाव कराइयेगा ? *(व्यवधान)* ...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : आप बैठिए । मैंने व्यवस्था दे दी है कि किसी भी माननीय सदस्य की कोई बात इस समय नहीं लिखी जाएगी ।

श्री लालू प्रसाद :† *(व्यवधान)* ...

* Expunged as ordered by the Chair.

† Not recorded.

3.00 p.m.

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : आप भाषण सुनिए ।

श्री लालू प्रसाद : * (व्यवधान) ...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : स्पष्टीकरण बाद में होगा, आप पहले भाषण होने दीजिए, पहले उनका जवाब होने दीजिए (व्यवधान) ...

श्री लालू प्रसाद : * (व्यवधान) ...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : जो भी कोई शब्द असंसदीय होगा वह कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा, चाहे वह किसी का भी हो । (व्यवधान) ... आप आसन ग्रहण करें । (व्यवधान) ...

श्री लालू प्रसाद : * (व्यवधान) ...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : हां, ठीक है, वह अपनी बात कह चुके हैं । आप बैठिए ।

श्री लालू प्रसाद : * (व्यवधान) ...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : आपकी बात का जवाब मंत्री जी देंगे, आप सुनिए तो सही । (व्यवधान) ... आप बैठिए । जीवन राय जी, आप आसन ग्रहण करिए ।

SHRI C. RAMACHANDRAIAH: *(Interruptions)...

श्री लालू प्रसाद : * (व्यवधान) ...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : मीणा जी, बैठिए । (व्यवधान) ... बैठिए, अगर आप इस ढंग से बोलेंगे तो आपका कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा । ... (व्यवधान) ... बैठिए, अबरार साहब, बैठिए । ... (व्यवधान) ... मीणा साहब बैठिए । आप आसन ग्रहण कीजिए, मंत्री जी का भाषण सुनिए और उस के बाद सवाल कीजिए... (व्यवधान) ...

श्री लालू कृष्ण आडवाणी : महोदय, पिछले 50 सालों में देश में अनेक स्थानों पर अनेक बार दंगे हुए हैं, लेकिन मैं नहीं जानता कि किसी और मुख्य मंत्री ने इतनी कठोरता के साथ उन का नियमन किया हो । ... (व्यवधान) ... जैसा कि वहां किया गया । ... (व्यवधान) ... मुझे कोई एक और उदाहरण दे दें । ... (व्यवधान) ...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : सदन की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

The House then adjourned at forty-six minutes past two of the clock.

The House re-assembled at two minutes past three of the clock,

* Not recorded.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAMA SHANKER KAUSHIK) in the Chair.]

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : माननीय उप प्रधान मंत्री जी ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मान्यवर उपसभाध्यक्ष जी, गुजरात की जो तीसरी चर्चा है, उसका एक कारण यह भी हुआ कि दो दिन पहले गुजरात के मुख्य मंत्री ने राज्यपाल जी को सिफारिश की कि आप विधान सभा को विसर्जित करें और राज्यपाल जी ने संविधान के अनुसार, क्योंकि वहां के मुख्य मंत्री जी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त था, उनकी सलाह को स्वीकार करके विधान सभा को विसर्जित कर दिया । अब स्वाभाविक है कि इसके बाद चुनाव ही होंगे । चुनाव कब होंगे, कौनसी तारीख को होंगे, नारीमन जी ने सही कहा कि इसका निर्णय जो है वह इलेक्शन कमीशन संविधान की धाराओं को ध्यान में रखकर करेगा । वह चाहे अभी हों, सितंबर में हों या अक्टूबर में हों या फरवरी में हों, जब भी हों कोई बहुत दूर नहीं हैं । इस समय तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि भारत सरकार का यह संकल्प है कि वहां पर निष्पक्ष चुनाव हों, सब के सब उसमें भाग ले सकें ।(व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : जीवन राय जी, आप बैठिए।... (व्यवधान)... नहीं, नहीं, आप बैठिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उपसभाध्यक्ष जी, इस समय मुझे और कुछ नहीं कहना । (व्यवधान) ...I assure that elections in Gujarat will be free and fair, and I would advise ... (Interruptions)...

SHRI JIBON ROY: He wants to take advantage of the situation. ... (Interruptions)...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : जीवन राय साहब, आप आसन ग्रहण करें । (व्यवधान)... आप आसन ग्रहण करें ।

SHRI JIBON ROY: You have to answer that question. ... (Interruptions)...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): जीवन राय जी, आप आसन ग्रहण करें । (व्यवधान)...

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : सर, यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो भी निर्णय होते हैं कि कौनसी सरकार अच्छी रही या बुरी रही, किसने ठीक काम किया या नहीं किया, इसका फैसला या तो वहां की विधान सभा करती है या वहां की जनता करती है।... (व्यवधान)... नरेन्द्र मोदी जी ने अपना कर्तव्य किया या नहीं किया, इसका निर्णय न जीवन राय जी कर सकते हैं और न मैं कर सकता हूँ । इसका निर्णय गुजरात की जनता करेगी । ... (व्यवधान)... वहां पर निष्पक्ष चुनाव हों, इसकी व्यवस्था हम करेंगे ।

श्री सुरेश पचीरी : उपसभाध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न पूछे हैं गुजरात के संबंध में और आज जो स्थिति गुजरात में निर्मित हुई है, उसके सिलसिले में किसी भी प्रश्न का जवाब माननीय गृह मंत्री जी की तरफ से नहीं आया है । यह क्या है ? आपने हमसे कहा था कि बीच में टोका-टाकी न करें, सारे प्रश्नों के उत्तर आएंगे ।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): यदि आपको अब कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछिए ।

श्री संघ प्रिय गौतम : उपसभाध्यक्ष जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, पहले मुझे पूछने दीजिए ।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): आपको भी मौका दूंगा, पहले इन्हें पूछने दीजिए, नेता विपक्ष को पूछने दीजिए ।

SHRI SURESH PACHOURI: Sir, we have asked so many questions, but no reply has come.

DR. MANMOHAN SINGH: Sir, in May, this august House had adopted an unanimous Resolution, calling upon the Union Government to exercise its power under article 355, to protect the life and property of our citizens in Gujarat and to ensure effective rehabilitation and relief measures. The hon. Deputy Prime Minister has not touched upon any of those issues, as to what is the current state of affairs. I would be grateful to him if he were to enlighten this House whether the Government has made any assessment of the loss of property in this holocaust that took place in Gujarat. Yesterday, while the hon. Arun Jaitley was speaking, he trotted out some figures. I did interrupt him, because I had read the *Business India*, which is a responsible newspaper. It is not a Congress paper. It had published an article in which it has been stated that, until now, the Government of Gujarat has not done any effective analysis as to what is the extent of the damage to property. Furthermore, there have been widespread complaints that the people who have suffered the most are those whose property has never been insured. Therefore, merely mentioning figures of claims received by insurance companies is no indicator of the damage or loss of property that has taken place in this holocaust. I would like to know from the hon. Deputy Prime Minister whether the Central Government has asked the Government of Gujarat to conduct a proper survey as to how much property has been lost. There have also been known facts about a large number of missing persons. What is their status? Do we know what is the number of missing persons in Gujarat? In the morning, the Government answered a question that I had raised as to what is the extent of assistance given by the Central Government and how it has been allocated. The hon. Deputy Prime Minister, in his reply, which was to be discussed today during the Question Hour, did say that out of the Rs.150 crores of allocation, about Rs.121 crores has been allocated. But, Sir, I had asked, how much of it has been disbursed, because the figure of allocation is no indicator of the amount which has been disbursed. The disbursement has been very tardy and discriminatory. The hon. Deputy Prime Minister does not tell us anything as to what has been done to

implement the solemn assurances that his Government gave, when it agreed to be a party to the Resolution, under article 355.

श्री संघ प्रिय गीतम : उपसभाध्यक्ष जी, अभी नेता विरोधी दल ने सवाल पूछते समय पहले कहा था कि गुजरात में ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : आप अपना सवाल पूछिए ।

श्री संघ प्रिय गीतम : मेरा सवाल उसी संदर्भ में है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : आप सवाल कीजिए । ...(व्यवधान)...आप बैठिए, आप भी बैठिए । आजमी साहब, आप भी बैठिए, मैं हूँ न । ...(व्यवधान)...

श्री संघ प्रिय गीतम : मैं सीधा सवाल कर रहा हूँ ।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि आप मंत्री जी से क्या जानना चाहते हैं ?

श्री संघ प्रिय गीतम : क्या मंत्री जी यह बताएंगे *

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : यह कोई सवाल नहीं है । माननीय श्री शंकर राय चौधरी । ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : यह कोई सवाल नहीं है, यह कार्यवाही में नहीं आएगा ...(व्यवधान)...इसका कोई संदर्भ नहीं है ...(व्यवधान)...

श्री संघ प्रिय गीतम : नेता विरोधी दल ने कहा था कि आर.एस.एस. सरकार चला रही है, क्या यह रेलवेंट है ? My question is quite relevant, particularly in the context of the question of the Leader of the Opposition.

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : गीतम जी, आपने अपने भाषण में भी यह कहा था । आपने बघेला साहब के बारे में उस वक्त भी अपने भाषण में कहा था, आप देख लीजिएगा लेकिन उसे उस समय विलोपित नहीं किया गया । इस समय चूंकि आपने इसे सवाल के रूप में पूछा है, इसलिए इसे विलोपित किया गया है ...(व्यवधान)...

श्री सुरेश पचीरी : आप आर.एस.एस. के चीफ से पूछ रहे हैं या गृह मंत्री से पूछ रहे हैं, यह भी स्पष्ट किया जाए ...(व्यवधान) ...

SHRI SHANKER ROY CHOWDHURY (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, I would request the hon. Deputy Prime Minister to let us know whether, in his considered view, the minority community voters in Gujarat have gained their confidence enough to participate in the polling process, if it is going to be held in the near future.

* Not recorded.

श्री लालू प्रसाद (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, 355 यहां सर्वसम्मति से पारित हुआ और उसके बारे में हम लोगों की अपेक्षा थी कि भारत सरकार वहां कार्यवाही करेगी जिसका वायदा किया गया था और जिस पर आम सहमति बनी थी। क्या असेंबली डिज्जॉल्व करने से पहले भारत सरकार और एन.डी.ए. के जो पार्टनर्स हैं, इनको विश्वास में लिया गया? क्या वहां के गवर्नर ने संसद का अपमान नहीं किया है? मेरा मानना है कि उन्होंने संसद का अपमान किया है और आनन-फानन में इसे कर दिया है क्योंकि एक भी रिपोर्ट ऐसी नहीं है कि इतनी जानें गई हों या अस्मत लूटी गई हो। अमेरिका, जहां से इनको ज्ञान की रोशनी मिलती है, उन्होंने अपने नागरिकों को मना कर दिया है कि उधर मत जाना, गुजरात में मत जाना, जम्मू-कश्मीर में मत जाना...(व्यवधान)...बिहार का नाम नहीं लिया है उन्होंने...(व्यवधान)...इन्होंने एक सवाल उठाया वाघेला जी के बारे में। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि "मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी जी, आर.एस.एस. इस देश की माइनोंरिटी के खिलाफ काम कर रही है, क्या यह बात सच नहीं है? ऐसे लोगों के रहते हुए क्या वहां निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव संभव है, यह हम लोग जानना चाहते हैं।

SHRI KAPIL SIBAL : Mr. Vice-Chairman, I have a couple of questions to the hon. Deputy Prime Minister.

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : संक्षेप में पूछिएगा।

श्री कपिल सिबल : मैं संक्षेप में ही पूछंगा। पहली बात यह है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ने यह कहा है कि 355 के आधार पर the CBI should take over all the cases..The C.B.I. should take over all the cases, especially, the five cases, that the Verma Commission has mentioned; and that is the obligation of the Union of India. I want a response from the Deputy Prime Minister to this point. What does he think about that?

Secondly, if between now, and the date when the elections are to be held,--whenever they are held-- something goes wrong before the elections in Gujarat, in order to preserve the unity and harmony among the people of the State, what will the Union Government do? Who will it hold responsible?

Thirdly, we have reason to believe that cheques for compensation for 25 rupees, 50 rupees, 100 rupees, and maximum of 4,600 rupees have been given, and that, of the total allocations, not more than Rs. 80 crores have been spent. We request the hon. Deputy Prime Minister to clarify that issue.

The next issue that I want the hon. Deputy Prime Minister to clarify is this. Is it not a fact that while returning home from the camps, people

* Not recorded.

have been killed? Has any inquiry been conducted in this regard? Is it not a fact that women have been terrorised by persons, who assaulted them, not to get the FIRs registered, and that too publicly, in a camp? We would like the Deputy Prime Minister to respond to that issue. Is it not a fact that the IDRF fund from U.S.A. has been channelised to support the activities of the VHP and the RSS? And even today, in Gujarat, in the Home Guards and Police Departments, the VHP pracharaks are being recruited on *ad hoc* basis, as sahayaks? We would like the hon. Deputy Prime Minister to react to that also.

SHRI NILOTPAL BASU : Mr. Vice-Chairman, Sir, the Deputy Prime Minister was saying that all was well with Gujarat. Yesterday, in my speech, I had quoted from certain affidavits filed even before the Gujarat High Court...(Interruptions)...

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: Without date and without court. अब भी बतला दो कि वह कौन सी डेट का और कौन सी कोर्ट का है। अभी बतला दीजिए, डेट बताइए। ...*(व्यवधान)*... फर्जी है।

SHRI NILOTPAL BASU: I had mentioned certain very specific affidavits given by the riot victims in the Gujarat High Court, making a claim that they have not been given the relief amount, as announced by the State Government. I would like to know whether the Government of India is aware of this position, and if so, why has this happened? I can authenticate, and also place on the Table of the House a photocopy of a cheque for Rs. 400/- which has been given as relief. During my speech yesterday, I had also mentioned about the three chargesheets, that is, in the Naroda-Patia case, in the Gulbarga Society case and in the West Bakery case, where the chargesheets themselves justify the actions of the perpetrators. Now, we were assured in the debate on 6th May that this was not being handed over to the CBI, because, in that event, the chargesheets cannot be filed in time or the chargesheets will get weakened, and the perpetrators will go scot-free. But, on the contrary, the type of chargesheets, which have been filed by the State Police and the State agencies, they are, in fact, going to allow the perpetrators of the crime to go scot-free.

Finally, after the dissolution of the State Assembly, we saw the President of the Bhartiya Janata Party demanding that elections should be held six months from 4th April, when the Assembly met, and we have also heard from the speakers of the Bhartiya Janata Party as well as that of the Government that it is very important to hold the elections after the last

sitting within six months, from the point of view of accountability. Now, from 4th of April, 2002 to 19th of July, 2002, when the State Assembly was recommended to be dissolved, three-and-half-months were there, and the Central Government was on the scene, intervening and advising the State Government to overcome the crisis of confidence of a section of the citizens. In attempting to restore the confidence of the people, whether the Central Government advised the State Government to hold the Assembly Session, to discharge their accountability to the State Assembly, which they represent. I want to know whether any advice was given. What is the State Government doing in terms of relief and rehabilitation? I would like to know whether such an advice was given. I would also like to know whether the U.P. Government had, earlier, represented by no less than the Attorney-General and the Solicitor-General, argued before the Supreme Court that this period of six months pertained to the same Assembly, not to different Assemblies. Please disclose all these facts publicly.

SHRI J. CHITHARANJAN (Kerala): Mr. Vice-Chairman, Sir, the Deputy Prime Minister has said that steps have been taken to restore normalcy and the situation is very conducive for conducting elections. But, Sir, yesterday, even from the Government side, it was made clear that 13,000 people are still in the relief camps. Even now, the people are afraid of going back to their own places and houses. It is also a fact that several people who were rendered homeless have not been rehabilitated and a feeling of fear is still there. In such a situation, how can the Deputy Prime Minister say that the situation is very conducive for conducting elections?

डा० कुमकुम राय (बिहार) : धन्यवाद उपसभाध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से माननीय उप प्रधानमंत्री जी से यह जानना चाहूंगी और आज के तमाम अखबारों में यह रिपोर्ट आई है कि वहां पर कई परिवारों ने पूरे सदस्यों के साथ आत्महत्या की है। खासतौर से जो महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं, लड़कियां हैं और कम उम्र की औरतें हैं उन्होंने अपने पूरे परिवार के सदस्यों के साथ में आत्म हत्या की है। क्योंकि अब उनके आगे भविष्य की कोई आशा की किरण नहीं बची है। ऐसे हताशा और निराशा के दौर में जब उनकी आंखों के सामने गर्भवती महिलाओं के गर्भ से बच्चे निकालकर आग में डीक दिए गए, कुंआरी लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया। ... (व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : आप सवाल कीजिए।

डा० कुमकुम राय : क्या माइनारिटी की हमारी महिलाएं, मताधिकार प्राप्त लड़कियां बूथ तक वोट डालने जा सकेंगी? क्या वे चुनाव में अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग कर सकेंगी? यह मैं उप प्रधानमंत्री जी से जानना चाहती हूँ।

श्री सुरेश पवारी (मध्य प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो गोधरा में जो दुर्भाग्यजनक घटना हुई और उसकी जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है, उसके बारे में माननीय

गृह मंत्री जी ने 8 जुलाई के हिन्दुस्तान टाइम्स में अपना बयान दिया है। उसमें उन्होंने उस रिपोर्ट का खंडन किया है और मैं उसको पढ़ना चाहूंगा,

"Mr. Advani also rejected a report made by an Ahmedabad-based science laboratory, which says that the firing at Godhra Railway Station, which had killed 58 passengers on February 28, had actually been started within the coaches."

उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरे पास उस रिपोर्ट की कापी है और मैं उस रिपोर्ट के केवल दो सेंटेंस पढ़ना चाहूंगा, "It is concluded that no inflammable liquid was thrown into the bogey from outside." इस पर डा० एम.एस. दहिया, एडीशनल डायरेक्टर, फॉरेंसिक लेबोरेटरी, गुजरात स्टेट के सिग्नेचर हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से विनम्रतापूर्वक यह जानना चाहता हूँ कि अगर इस रिपोर्ट में सत्यता नहीं है तो जो एडीशनल डायरेक्टर, फॉरेंसिक लेबोरेटरीज हैं, क्या आप उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? उनकी वजह से इस रिपोर्ट के बारे में भ्रम हो गया है और यदि आपने इस रिपोर्ट का खंडन किया है तो किस आधार पर किया है?

मेरा दूसरा सवाल यह है कि क्या गुजरात में सामान्य स्थिति निर्मित हो गई है और यदि निर्मित हो गई है तो क्या चुनाव की स्थिति है या राष्ट्रपति शासन की स्थिति है? यह हम जानना चाहते हैं।

मेरा तीसरा सवाल चुनाव से संबंधित है। जितने राशनकार्ड गुजरात में दंगा से प्रभावित लोगों के गुम हो गए हैं या नष्ट हो गए हैं और जब वे वापस अपने-अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं तो उन्हें आईकार्ड कब तक उपलब्ध हो पायेंगे? ताकि समय पर जब चुनाव हों तो उन आई कार्ड्स के जरिए वे अपना मतदान निर्भीकता से कर सकें और वे मतदान से वंचित भी न रह पाएं। आखिरी बात मैं यह जानना चाहता हूँ कि अनेक महिलाओं ने यह शिकायत की है कि उनके साथ बलात्कार हुआ है, ज्यादाती हुई है, जुल्म-ओ-सितम हुए हैं और वहां के जो अधिकारी हैं, यद्यपि इस बात को यह कहकर टाला जा सकता है कि यह राज्य सरकार का विषय है, लेकिन क्योंकि यह महिलाओं के साथ जुल्म-ओ-सितम का मामला है और जब यह बार बार हमारे माननीय गृह मंत्री महोदय के नोटिस में लाया जा रहा है तो उन महिलाओं की रिपोर्ट को लिखा जाए और जिन्होंने बलात्कार या जुल्म किया है, उसके खिलाफ वहां के जिन अधिकारियों ने रिपोर्ट तक नहीं लिखी, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। मैं जानना चाहता हूँ कि केन्द्र सरकार की तरफ से इस संबंध में क्या व्यवस्था की जाएगी, यह मैं आपसे जानना चाहता हूँ। इसके अतिरिक्त कम्पनसेशन किसी को 25 रुपए दिया जा रहा है, किसी को पचास और किसी को केवल सौ रुपये दिया जा रहा है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह इतना कम क्यों दिया जा रहा है?

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): यह सवाल पहले आ चुका है। आप इसे क्यों दोहरा रहे हैं?

डा० अब्दुल अहमद : महोदय, गोधरा की घटना का सबने दुख व्यक्त किया लेकिन उसके पश्चात जो गुजरात के अंदर दंगे भड़के, उसमें कोई दो राय नहीं है कि मुख्य मंत्री जी ने

अपने बयानों के जरिए जिस तरह से लोगों की भावनाओं को भड़काया और उसके बाद जो वहां के हालात बने तो आज जिसको नार्मलसी कहा जा रहा है, यह कृत्रिम नार्मलसी है, यह आर्टिफिशियल नार्मलसी है। मैं माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि चुनाव के लिए सिर्फ दिखाने के लिए जो नार्मलसी बनायी गयी है, उसमें वह कैसे अपरेटली इलैक्शन कराने के बारे में कह सकते हैं? साथ ही पुलिस ने वहां पर जो रोल अदा किया, आप और हम सब दूरदर्शन पर देखते थे कि लोगों को जलाया जा रहा था और पुलिस खड़ी देख रही थी। कितने पुलिस वालों को अब तक उस संबंध में सजा दी गयी या कितनों के खिलाफ कार्यवाही की गयी? महोदय, वही पुलिस उस चुनाव के अंदर रहेगी? मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस चुनाव के अंदर कोई निष्पक्ष पुलिस रहेगी या उसी पुलिस के साथ किस प्रकार वह निष्पक्ष चुनाव कराने के बारे में सोच रहे हैं? महोदय, वैसे तो कल यह प्रश्न पूछा गया था लेकिन चूंकि माननीय गृह मंत्री जी ने अपने जवाब में उसका उत्तर नहीं दिया, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि अभी कितने लोग वहां कैम्पों के अंदर रह रहे हैं, उन लोगों के कैम्पों में रहते हुए कैसे वह वोट डालेंगे, किस प्रकार से वे अपना मत देकर उसमें हिस्सा ले सकेंगे, उसके बारे में वह क्या सोचते हैं? जो बात कल मुख्य रूप से पूछी गयी थी उसका जवाब नहीं आया, माननीय अहमद भाई ने यह बात पूछी थी कि जो प्रधान मंत्री जी ने पैकेज दिया है, उस पैकेज का पैसा कैसे खर्च किया गया है, उसमें से कितना पैसा खर्च किया गया है? कहने को बहुत बड़ी राशि यहां बताई गयी थी लेकिन जो सूचना मिली है और जो कल यहां कहा गया था, वहां लोगों को किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिला। कृपया इस संबंध में बताने का कष्ट करें।

श्री संघ प्रिय नौतप : यह पहले हमारी ही पार्टी में थे, अभी उधर गये हैं।

श्री सुरेश पक्वरी : आपकी पार्टी से लोग ऊब-ऊबकर भाग रहे हैं, यह बहुत चिंता का विषय है...(व्यवधान)...

श्री अबरार अहमद : आपका जब असली रूप देखा तो मैं वापिस यहां लौट आया। आपने बड़े जोर से आवाज लगायी थी कि आइए मुसलमान जी, हमारे साथ आइए, लेकिन आपके हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ।...(व्यवधान)...जो आपका असली रूप है, उस रूप को देखकर आपके साथ कोई नहीं रह सकता। अभी जो लोग वहां हैं, वे भी कुछ दिनों में आपका साथ छोड़कर चल देंगे।

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (Kerala): Sir, this august House had passed a Resolution unanimously on 6th May. ...(Interruptions)...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : सुनिए, उनका भी सवाल सुनिए, नीलोत्पल जी, आपने अपना प्रश्न तो कर दिया है, उनका भी सुन लीजिए।...(व्यवधान)...

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: Sir, I am asking a specific question. Incidents took place from 27th February onwards. This House passed the Resolution on 6th May urging the Central Government to intervene in the affairs of the State under article 355 of the Constitution. Why? Because there were lapses on the part of the State Government in maintaining law and order and controlling communal violence. With due respect to the hon.

Deputy Prime Minister, I submit that in his reply to the discussion he stated that he appreciated and admired the Chief Minister of Gujarat. The Godhra incident took place on 27th February. This House passed the Resolution on 6th May, because there were lapses on the part of the State Government and there was a failure of the Constitutional machinery. My question is: Is the statement made by the hon. Deputy Prime Minister not against the spirit of the Resolution passed by this august House? Is it not a disrespect to this august House?

श्री अहमद पटेल (गुजरात): मान्यवर, मैं गृह मंत्री जी से सिर्फ एक ही जानकारी चाहूंगा कि 7 जुलाई को वे गुजरात में थे और अहमदाबाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा था, जो 8 जुलाई के "हिंदुस्तान टाइम्स" में, वहां के अखबार में भी आया है -

"The Deputy Prime Minister, Shri L.K. Advani has admitted that though peace has returned in Gujarat, people still did not feel safe, and that the State Government should concentrate on restoring a sense of security among the people of all communities."

मैं आडवाणी जी से जानना चाहूंगा कि 11 दिनों में ऐसी कौन सी कार्यवाही हुई या कौन सा ऐसा जादू हुआ जिसकी वजह से सेंस ऑफ सिक्योरिटी रेस्टोर हो गई और असेम्बली डिजॉल्व करके चुनाव की बात की जा रही है ?

श्री मूल चन्द मीणा (राजस्थान) : उपसभाध्यक्ष महोदय, गुजरात में साम्प्रदायिक दंगों से एक ऐसा वातावरण बन गया था.....

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : आप सवाल पूछिए ।

श्री मूल चन्द मीणा : मैं होम मिनिस्टर साहब से यही पूछना चाह रहा हूं कि वहां एक ऐसा वातावरण बन गया था कि हिंदू और मुसलमानों में एक अविश्वास पैदा हो गया था । वह विश्वास कायम न करके वहां के मुख्य मंत्री ने विधान सभा को भंग करा कर नए चुनाव कराने के लिए जिस संकुचित भावना से, वोट की भावना से यह कार्य किया है, ऐसा लगता है कि वहां के मुख्य मंत्री के रहते हुए वहां निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते । जिस संकुचित भावना से, केवल वोट की भावना से.....

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : आप सवाल पूछिए ।

श्री मूल चन्द मीणा : वही तो जानना चाह रहा हूं सर ।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : ठीक है, आपने अपनी बात रख दी, अब दूसरा सवाल पूछिए।

श्री मूल चन्द मीणा : सर, मैं यह जानना चाहता हूं कि अभी तक गुजरात में हिंदू और मुस्लिम भाईचारा वापस कायम हुआ है या नहीं ? रोज़ घटनाएं होती हैं । ...**(व्यवधान)**...

श्री संघ प्रिय गौतम : ये कायम नहीं होने दे रहे हैं ।

श्री मूल चन्द मीणा : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि.....

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): आपका यह स्पेसिफिक प्रश्न आ गया कि भाईचारा कायम हो गया है या नहीं?

श्री मूल चन्द मीणा : यह एक प्रश्न हुआ । दूसरा प्रश्न यह है कि कैसे हम विश्वास कर सकते हैं ? जिस सरकार में बैठे हुए मंत्री वहां के दंगाइयों के साथ मिले हुए हों, उनके पद पर रहते हुए वहां निष्पक्ष चुनाव कैसे होंगे ? निष्पक्ष चुनाव यदि आप चाहते हैं तो राष्ट्रपति शासन लागू करा दीजिए और यदि आप वास्तविकता में वहां की जनता को न्याय देना चाहते हैं तो आप इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से करा लीजिए और पता लगा लीजिए कि वहां की सरकार निर्दोष है या दोषी है । मैं उप-प्रधानमंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि वहां की सरकार जो उन दंगों में इनवॉल्व है, वे इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से कराएंगे या नहीं?

SHRI M.P. ABDUSSAMAD SAMADANI (Kerala): I would like to know from the hon. Deputy Prime Minister: If everything is peaceful in the State of Gujarat, why are a larger number of people still in relief camps? The official figure is 12,524 persons. If the people are safe and the situation is so peaceful, why aren't people ready to return to their homes from the relief camps? Sir, not a single family has returned from the relief camps to the Gulbarga society. Only 50 persons have returned in the entire area of Panvad and only 200 persons have returned in the Panderwada area. Why are a large number of people still in relief camps? Why has curfew still been imposed in some parts of Gujarat? The hon. Deputy Prime Minister, in his speech stated that violent incidents are not violence. If violent incidents are not violence, what else is violence? Two days back, two persons died in an incident. If such incidents are not violence, what is the definition of violence? If the killing of persons is not violence, what is violence? If everything is so good and fine in Gujarat, why was the Amnesty International Organisation denied visas when they wanted to survey the State of Gujarat? Why is it that an organisation, which has a long history of commitment to the cause of human rights, has been denied visa?

श्री अर्जुन सिंह (मध्य प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय आडवाणी जी से केवल यह सवाल पूछना चाहता हूँ, यहाँ उनका ही एक्शन इन्चाल है ...**(व्यवधान)**... आडवाणी जी नाम नहीं है? मैं यह जानना चाहता हूँ कि गुजरात में राज्यपाल ने एसम्बली को डिजॉल्व करने के आदेश को पारित करने से पहले क्या देश के गृह मंत्री से इस पर कोई चर्चा की या नहीं, जो सामान्यतः हुआ करती है। दूसरा प्रश्न यह है कि जब आपने सर्टिफिकेट दे ही दिया है तो अब हम किस मन से आप पर भरोसा करें, जो उत्तर आप यहाँ देंगे। क्योंकि सर्टिफिकेट तो आप दे चुके कि सब ठीक है। मोदी जी को फिर से जनता का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आपकी कौशिश होगी कि जिस प्रकार से भी हो आप उनको सर्टिफिकेट दिलवाइए। ...**(व्यवधान)**... ऐसी परिस्थितियों में कैसे राष्ट्र के अंदर विश्वास जमे कि देश के गृह मंत्री गुजरात के लोगों के साथ सहानुभूति और न्याय दिखाएंगे?

SHRI RAM JETHMALANI (Maharashtra): Sir, I just want to know whether the Government accepts the independent and unqualified powers of the Election Commission in fixing the dates of election, in deciding whether the elections should be held, that the Election Commission is not bound by any expression of opinion, but has to go by all factors that have been pointed out either on behalf of the Government or on behalf of other hon. Members of this House, -- one saying that elections can be held, should be held, and the others saying that it should not be held -- that it is entitled to, and bound to, respectfully consider everything that has been said by every section of this House.

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उप प्रधान मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि क्या यह सच नहीं है कि गुजरात में जो हुआ तमाम तथ्य चीख-चीख कर इस बात का दावा करते हैं कि वहां पुलिस, प्रशासन और सरकार की मदद से जो कुछ हुआ उसकी नजीब हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं मिलती। इस परिप्रेक्ष्य में आज जब गुजरात के कार्यवाहक मुख्य मंत्री लगातार इस बात का बयान देते जा रहे हैं कि जो भी गुजरात में हुआ, उसकी जो भी लोग निंदा कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, वे पूरे गुजरात का अपमान कर रहे हैं, वे गुजरातियों का अपमान कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि मुख्य मंत्री के इस बयान की रोशनी में अतीत के उन बयानों की रोशनी में आज तक उन्होंने गुजरात में जो हुआ, उसकी कभी निंदा नहीं की, कभी आलोचना नहीं की, उसको कभी अनुचित नहीं ठहराया। इस परिप्रेक्ष्य में मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि वहां जो हालात हैं, तमाम आयोगों ने, तमाम निजी संस्थाओं ने अपनी जांच के जरिए इस बात को साबित किया है कि हालात वहां पर बहुत संगीन हैं और मैं यह जानना चाहूंगी कि उन महिलाओं ने जिन्होंने उन अपराधियों के नाम दर्ज करवाए कि ये अपराधी हैं जिन्होंने उनके साथ उत्पीड़न किया, उन अपराधियों में कितने अपराधियों को अब तक सजा दी गई? इसके अलावा उन दंगों में जो मासूम बच्चे अनाथ हुए, उन अनाथ बच्चों की भावी जिंदगी को लेकर, ये किस यंत्रणा से गुजर रहे हैं तमाम लोगों ने इस बात को कहा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि उन बच्चों को लेकर हमारे मंत्री जी क्या कर रहे हैं, केन्द्र सरकार क्या कर रही है क्योंकि गुजरात की सरकार ने जो किया है, उससे जो तथ्य सामने आए हैं, वे बहुत ही निराशाजनक और हताश जनक हैं।

*** मौलाना अबुलक़ासिम खान आज़मी :** उपसभापति महोदय, मैं होम मिनिस्टर साहब एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब से उनके बयान की रोशनी में गालिब के एक शेर के साथ अपनी बात पूछना चाहता हूं। "तेरे वादे पर किए हम तो यह जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर ऐतबार होता।" सर, मैं सिर्फ एक सवाल इसी के अंदर पूछना चाहता हूं, सिर्फ एक सवाल कि गुजरात में जो कुछ हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, हर साइड से यहां पक्ष रखे जा रहे हैं। अगर गुजरात में ईंसानों की चीख और पुकार, मासूम बच्चों का कत्ल, औरतों की इज्जत की बर्बादी...(व्यवधान)...

* Transliteration of the speech in Persian Script is available in the Hindi version of the debate.

कुछ माननीय सदस्य : प्रश्न पूछ रहे हैं ... (व्यवधान)...

मौलाना ओबैदुल्लाह खान आजमी : मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ ... (व्यवधान) ... मेरी बात प्रश्न से जुड़ी हुई है ... (व्यवधान) ... मैं कोई होम मिनिस्टर नहीं हूँ ... (व्यवधान) ...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : आप कृपया प्रश्न पूछिए ।

†मौलाना ओबैदुल्लाह खान आजमी : मेरा सवाल यह है कि इतने लोगों की बर्बादी, इंसानियत की तबाही और बर्बादी के माहौल में वहां के चीफ मिनिस्टर का गौरव यात्रा निकालने का क्या मतलब था ? क्या उन्हें इस बात पर गौरव है कि हमने इतने लोगों को मरवा दिया, इतनी औरतों की इज्जत लुटवा दी, हमने इतने लोगों को बर्बाद करवा दिया ? मैं सरकार को साथ-साथ बघाई भी दूंगा कि सरकार ने इस गौरव यात्रा को रोका, मुल्क के लोगों ने भी रोका मगर निकालने की बात है तो होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि वह गौरव यात्रा निकलेगी, आरजी तौर पर रुकी है । मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि क्या वे गुजरात की बर्बादी पर गौरव यात्रा निकालना चाहते हैं । इतना बड़ा संकट पैदा हुआ कि सारी दुनिया में हिंदुस्तान की बर्बादी का, तबाही का पेशकीमा बन गया, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि गुजरात के वाक्ये से हिंदुस्तान का सिर पूरी दुनिया में शर्म से झुक गया है । क्या शर्म से झुकने के लिए यह गौरव यात्रा निकाली थी ? इस गौरव यात्रा का क्या मतलब था ? आदमियत को बर्बाद करने के बाद यह गौरव यात्रा निकालना चाहते हैं ?

श्रीमती सरोज दुबे (बिहार) : उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय उप प्रधानमंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि गुजरात में जो खौफनाक, हैरतअंगेज दंगे हुए, हिंसा का जो घृणित और वीभत्स तांडव गुजरात में हुआ है वह किसी से छुपा नहीं है । इसके सबसे ज्यादा शिकार अल्पसंख्यक, महिलाएं और बच्चे हुए । आज भी हिंसा की चिंगारी छिपी हुई है और रह-रहकर भड़क उठती है । मैं माननीय मंत्री जी और उप प्रधानमंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि ये जो दंगे हुए, अभी दंगा थमा भी नहीं था कि वहां अचानक असेम्बली भंग करके चुनाव की घोषणा कर दी गई । इस चुनाव की घोषणा में क्या जो दंगे हुए, अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हुए ... (व्यवधान) ...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : यह सवाल आ चुका है । जो सवाल आ चुके हैं वे क्यों पूछ रही हैं ? जो प्रश्न आ चुके हैं उन्हें क्यों पूछ रहे हैं ?

श्रीमती सरोज दुबे : सर, मेरा सीधा सा सवाल है कि क्या इस चुनाव के माध्यम से ... (व्यवधान) ... उपसभाध्यक्ष जी, इस चुनाव के माध्यम से क्या सरकार यह जनमत संग्रह करना चाहती है कि जो दंगे हुए वे सही थे या गलत थे ? क्या उसके औचित्य पर वह मोहर लगवाना चाहती है ? नम्बर दो प्रश्न यह है कि ये डबल स्टैंडर्ड अपना रहे हैं । एक तरफ जब जम्मू-कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं तो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू हो और दूसरी तरफ कहते हैं कि नहीं लागू हो । मैं जानना चाहती हूँ कि उनका यह डबल स्टैंडर्ड क्यों है ? तीसरी बात, अभी सरला बहिन ने कहा, मेरे पास सूची है, जिन महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है,

† Transliteration of the speech in Persian script is available in the Hindi version of the debate.

जो विक्षिप्त हुई हैं, विधवा हुई हैं, जिनके परिवार ...(व्यवधान)... तलवार से काट दिया गया है, इन्होंने उनके लिए क्या किया है ? मासूम बच्चों के लिए क्या किया है, मैं यह जानना चाहती हूँ ।

एक माननीय सदस्य : भाषण हो गया ।

श्रीमती सरोज दुबे : भाषण नहीं, सवाल पूछा गया है । अब आप न समझें तो मैं क्या करूँ ? जो आँखों से देखकर आए हैं वही पूछ रहे हैं । आपकी आँखों पर तो पर्दा पड़ गया है, आपका दिल पत्थर का हो गया है, आपको दिखाई नहीं देता कि क्या हो रहा है । आपको तो चुनाव जीतना है । इसके लिए चाहे खून और लाशों पर ही चलना पड़े ।

श्री प्रेम गुप्ता : उपसभाध्यक्ष जी, मैं माननीय उपप्रधानमंत्री और पूरे सदन से, खास तौर से सत्ता पक्ष में जो मेरे साथी बैठे हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ कि गुजरात में जो नरसंहार हुआ है, कत्लेआम हुआ है, और जो कुछ भी हुआ है, उसके लिए क्या सत्ता पक्ष के किसी भी सदस्य के मन में कोई संवेदना नहीं है ? क्या इन लोगों को कोई ...(व्यवधान)... इन्होंने कभी नहीं सोचा कि हम माफी मांगें। पूरे देश से, पूरी दुनिया से माफी मांगें। राजसत्ता भोगने के लिए आपका दिल इतना पत्थर हो गया है? जमूरे बने हुए हैं। आप लोग को कोई संवेदना नहीं है ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : बैठिए ...(व्यवधान)... अब आप प्रश्न पूछिए।

श्री प्रेम गुप्ता : पूरा देश और दुनिया ...(व्यवधान)... मान्यवर, पूरी दुनिया, पूरा संसार देख रहा है ...(व्यवधान)... इनकी तरफ से किसी ने कोई संवेदना जाहिर नहीं की, कोई सवाल नहीं पूछा कि यह क्यों हुआ और क्या हुआ। मान्यवर, सबसे बड़े दुख की बात है कि अभी यह इश्यू पिछले दो रोज से चल रहा है और प्रधान मंत्री जी ने यह आवश्यक नहीं समझा कि यहां आकर दुनिया और इस हाउस के सामने कुछ बयान दें। मतलब, सत्ता का हस्तांतरण हो गया है? इस चीज को क्लेरीफाई किया जाए।

श्री बालकवि बैरागी : धन्यवाद, उपसभाध्यक्ष महोदय...

प्रो. रामबख्श सिंह वर्मा : महोदय, कितने लोगों को आप ...(व्यवधान)... मौका देंगे?

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : यह आपकी बात सही है कि लगभग सभी दलों के संसद सदस्यों ने अपनी बात कह ली है लेकिन बालकवि बैरागी जी की बात तो सुन लीजिए ...(व्यवधान)...

श्रीमती सविता शारदा : गुजरात की प्रजा अपने आप खड़ी हो सकती है ...(व्यवधान)... गुजरात की प्रजा अपने आप खड़ी हो जाएगी। आप लोगों की संवेदनाएं हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए...(व्यवधान)... हम अपने आप खड़े हो जाएंगे ...(व्यवधान)...

श्रीमती सरोज दुबे : महोदय ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : सरोज दुबे जी आप बैठिए ...(व्यवधान)... सविता जी बैठिए ...(व्यवधान)... मैं कह रहा हूँ बैठिए...(व्यवधान)... मैं खड़ा हूँ, आप बैठिए ...(व्यवधान)... बालकवि बैरागी जी ...(व्यवधान)...

श्रीमती सरोज दुबे : महिलाओं की हत्या करते हो, अत्याचारी हो ... (व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : सरोज जी बैठिए ... (व्यवधान)...

कुमारी मैबल रिबैलो (मध्य प्रदेश) : सविता जी, कैसे भूल गयीं जो आपने सुना। आप हम लोगों के साथ थीं। कितना बलात्कार हुआ महिलाओं के साथ ... (व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : आसन ग्रहण करें... (व्यवधान)...

कुमारी मैबल रिबैलो : सविता जी हमारे साथ थीं ... (व्यवधान)...

श्री बालकवि बैरागी (मध्य प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं प्रश्न करूँ उससे पहले आपसे इतना निवेदन कर दूँ कि एक बैरागी को बुलाने से अगर दस महिलाएँ खड़ी हो जाएँ तो आप मुझे बार बार बुलाइए।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : तब फिर आपको बैरागी कैसे कहा जाएगा।

श्री बालकवि बैरागी : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय उप प्रधान मंत्री महोदय से मेरे दो सीधे से सवाल हैं। मैं ज्यादा किसी बहस में पड़ता नहीं हूँ, आप जानते हैं मैं बहुत विनम्र सदस्य हूँ और अपनी बारी आने पर बात करता हूँ। मैं एक तो आपसे यह जानना चाहूँगा माननीय उप प्रधान मंत्री महोदय कि जिस वक्त यह सदन 355 वाला प्रस्ताव स्वीकार करने जाने वाला था उसके तीन-चार दिन पहले भारत की सरकार ने, प्रधान मंत्री जी ने, आप लोगों ने वहाँ पर शांति और सलाह के लिए केपीएस गिल साहब को तैनात किया। सैक्योरिटी सलाहकार के तौर पर गिल साहब वहाँ पर पहुंचे 3 या 4 दिन पहले तो ऐसा लगा कि आपने इस 355 वाले प्रस्ताव को या 355 वाली भावना को डाइल्यूट करने के लिए यह काम किया है। हमने उसका स्वागत किया। उन्होंने अभी-अभी इस्तीफा दिया। अखबारों में दो तरह के समाचार हैं, उपसभाध्यक्ष महोदय, कि उनका इस्तीफा स्वीकार हो गया और दूसरा है कि वह स्वीकार नहीं हुआ। वह अभी भी हैं। उन्होंने 20 हजार सिपाही लगा करके रथयात्रा का जलूस शांतिपूर्वक निकलवाने की व्यवस्था की। तो क्या चुनावों के लिए, चुनाव जब भी हो, उन चुनावों के लिए क्या आप अतिरिक्त पुलिस के साथ-साथ केपीएस गिल को भी वापस वहाँ भेजेंगे, ताकि विश्वास लौटे? दूसरा, जो अबरार भाई ने पूछा, मैं उसी के साथ अपने सवाल को जोड़ता हूँ कि वही मशीनरी, वही पुलिस, वही सिविल मशीनरी जिसका कि मनोबल टूटा हुआ है, जिस पर सारी दुनिया ने इलजाम लगाए हैं, इस मशीनरी का दुरुपयोग करके वहाँ के वर्तमान और उस वक्त के मुख्य मंत्री महोदय ने सारे गुजरात में प्रायोजित दंगे करवाए, उसी मशीनरी के भरोसे आप तटस्थ चुनाव कैसे करा पायेंगे? कृपा करके इन दो बातों का स्पष्टीकरण आप देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी।

श्री विजय जे0 दर्डा (महाराष्ट्र) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं उप प्रधान मंत्री जी से पूछना चाहूँगा, मुझे आपके प्रति बहुत आदर है... (व्यवधान) ... उप प्रधान मंत्री जी, मेरे मन में आपके प्रति बहुत आदर है और जब आपने अभी जवाब दिया वह सुन कर ... (व्यवधान) ...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : आप कृपा करके जो प्रश्न है वह कीजिए। आप तो उनके भाषण की बात कर रहे हैं। आप सिर्फ प्रश्न पूछिए।

श्री विजय जेठ दहर्मा : मेरे मन को धक्का लगा जब आपने यह बात कही कि 50 वर्ष में भी ऐसा मुख्य मंत्री नहीं हुआ कि जिसने इस ढंग से काम किया। जिसने खून की होली खेली और आप उसको ऐसा सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो मेरे मन में यह शंका आ रही है कि कहीं आप इन्डायरेक्टली उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आप स्वयं जानते हैं कि वहां का वातावरण आज चुनाव कराने के काबिल नहीं है और उसके बावजूद आप ... (व्यवधान) ...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): दर्डा साहब, आप प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं।

श्री विजय जेठ दहर्मा : मैंने पहला प्रश्न पूछा और अभी दूसरा उसमें है कि आप वहां पर चुनाव इस ढंग से क्यों करवाना चाहते हैं कि जिसकी वजह से वहां का वातावरण फिर से दूषित हो और भाईचारे की जो भावना है वह सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए खत्म हो?

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): डा० रमेन्द्र कुमार यादव। आप दो मिनट में अपनी बात कहिए।

डा० रमेन्द्र कुमार यादव "रवि" (बिहार) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। सारा सदन माननीय उप प्रधान मंत्री जी से कुछ जानना चाहता है, उनसे देश की अपेक्षाएं हैं, सदन की भी अपेक्षाएं हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, प्रतिपक्ष के अति सम्मानित नेता बैठे हुए हैं, मेरा सिर्फ प्रश्न नहीं, मेरा उत्तर है, मैं उत्तर दे रहा हूँ। ... (व्यवधान) ... हां, मैं उत्तर दे रहा हूँ।

"शीशे की अदालत में, पत्थर की गवाही है,

कातिल ही मुहाफिज़ है, कातिल ही सिपाही है।"

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : बहुत बढ़िया। माननीय गृह मंत्री जी। ... (व्यवधान) ... आप ने समय मांगा ही नहीं। ... (व्यवधान) ... अब मैंने माननीय गृह मंत्री जी को बुला लिया है, आप कृपा कर के आसन ग्रहण करें। ... (व्यवधान) ... माननीय गृह मंत्री जी।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मान्यवर उपसभाध्यक्ष जी, बहुत सारे माननीय सदस्यों ने जो सवाल पूछा है, वह एक ही बात पर केन्द्रित था कि क्या वहां पर चुनाव करवाने के लिए नॉर्मलसी है? ऐसी शांतिपूर्ण स्थिति है जिस में लोग मतदान कर सकें? मान्यवर, हम ने हिंदुस्तान में हम ने बहुत चुनाव देखे हैं और मैं मानता हूँ कि आज से दो-तीन महीने पहले यह स्थिति नहीं थी। एकचुअली माननीय सदस्यों को पता होगा कि जब वहां के मुख्य मंत्री ने पार्टी की कार्य समिति के सामने अपना इस्तीफा दिया तो पार्टी ने उस इस्तीफे को अस्वीकार करने के साथ-साथ यह कहा कि आप जनता की राय लीजिए। लेकिन जब उन्होंने हम से पूछा, सरकार से पूछा तो हम ने उन को कहा कि जब तक शांति स्थापित नहीं होती तब तक चुनाव की बात हम नहीं करेंगे। महोदय, यह चार महीने पहले की बात है। इसीलिए ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने आज अचानक विचार किया है। यद्यपि चार महीने पहले अप्रैल के महीने में पार्टी ने उन्हें सलाह दी थी कि आप मतदान करवाइए, लेकिन वह नहीं करवाए और आज जब शांति हो गयी और हिंसा बंद हो गयी तो उस के बाद ही वहां चुनाव करवाने के लिए उन्होंने सिफारिश की है।

4.00 p.m.

महोदय, माननीय अर्जुन सिंह जी ने पूछा कि क्या राज्यपाल महोदय ने उन की सलाह मानने से पहले आप से पूछा था और क्या आप ने एनडीओ से सलाह की थी ? महोदय, मैं समझता हूँ कि यहां पर श्री फाली नारीमन जैसे विद्वान बैठे हैं जिन को पता है कि इस मामले में गवर्नर का यह अधिकार ही नहीं कर्तव्य है कि वह अपने विवेक का उपयोग कर के निर्णय करेंगे और 174 में यह बिल्कुल क्लियर है कि अगर इस प्रकार की स्थिति हो और सरकार जिस को बहुमत प्राप्त हो, वह यदि गवर्नर को सलाह दे तो सरकारिया कमीशन ने कहा है, मेरे पास बसु की कामेंटरी है जिस में कहा गया है कि this advice is binding on the Governor.

श्री अर्जुन सिंह : मैं ने सवाल यह पूछा था कि आप से बात की कि नहीं ?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मुझ से नहीं पूछा और मैं समझता हूँ कि उन को पूछने की जरूरत भी नहीं थी । यह उन्होंने सही किया और अगर वह पूछते तो हो सकता है कि कोई आपत्ति करता कि यह तो उन्होंने केन्द्र के कहने पर किया है । यह बात हो सकती थी । लेकिन यह तथ्य है कि उन्होंने नहीं पूछा ।

श्री लालू प्रसाद : यह भी संभव है कि वह आप के एजेंडे को लागू न करें ।
...(व्यवधान)...

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, एक बात जिस की चर्चा पचीरी जी और दूसरे सदस्यों ने की, वह है फॉरेंसिक रिपोर्ट । मैं उसे महत्वपूर्ण इसलिए मानता हूँ कि अभी उन्होंने एक वक्तव्य पढ़कर सुनाया जिस में मैं ने कहा कि यह रिपोर्ट गलत है । मैं ने यह कभी नहीं कहा । मैं ने तो यह जवाब दिया कि फॉरेंसिक रिपोर्ट तो मैं ने देखी ही नहीं, आएगी तो देखूंगा । इस समय तो जो कमीशन बना हुआ है, वह उसे एकजामिन कर रहा है, लेकिन मैं तो स्वयं उस डिब्बे में गया जोकि जला हुआ गोधरा में पड़ा हुआ है । उस डिब्बे को देखकर कोई भी व्यक्ति कहेगा कि जो आग लगी है, उस को बाहर से नहीं फेंका गया है, वह तो अंदर से ही लगी है । लेकिन इस का कोई अर्थ यह लगाए कि उन्होंने खुद ही अपने को और अपने परिवार वालों को जला लिया तो यह तो बिल्कुल अनर्थ है । ...(व्यवधान)... लेकिन इस में कोई संदेह नहीं है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट की जो बातें अखबारों में छपी हैं, वह सही लगती हैं ।

श्री सुरेश पचौरी : आप के हवाले वह वक्तव्य छपा था तो कृपा कर के आप उस का खण्डन दे देते ? जब आप के नोटिस में आया था ...(व्यवधान)...

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मेरे नोटिस में नहीं आया ।

श्री सुरेश पचौरी : तो अब खण्डन कर दीजिए ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं ने अभी जवाब दिया है । मैं खण्डन कर रहा हूँ । मैं ने उस समय यह जवाब दिया था कि इस में फॉरेंसिक रिपोर्ट की जरूरत नहीं है । मैं ने जो स्वयं देखा, उस के आधार पर ही कह सकता हूँ कि वहां पर अंदर ही किसी ने प्युअल डालकर उसे जलाया है । इसमें कोई संदेह नहीं है ।

उपसभाध्यक्ष जी, कैम्पस की चर्चा बहुत से माननीय सदस्यों ने की और यह कैम्पस की

चर्चा बहुत जायज है। मैं यह मानता हूँ कि भले ही किसी समय 1,32,000 लोग वहाँ होंगे, लेकिन आज 12,155 लोग हैं, लेकिन यह 12,155 लोग भी वहाँ कैम्प में नहीं रहने चाहिए। मैंने वहाँ की सरकार को पूछा कि यह जो लोग हैं, जो कैम्प में हैं इनके अपने मकान, अपने क्षेत्र कितनी दूर हैं? बताया कि आसपास हैं। क्योंकि अहमदाबाद में ही बचे हैं और ज्यों ही जिस जिस का स्थान बनता जाता है, जैसे जैसे वह अपनी झुग्गी झोपड़ी बना लेते हैं, मकान बना लेते हैं, वापस चले जाते हैं। वह ग्रेजुअली वापस जाते रहें, लेकिन हम इस बात की व्यवस्था जरूर करेंगे, जो हमारा कर्तव्य होगा, जैसा मैंने पहले कहा, जो लोग कैम्पों में भी हैं तो उनको भी वोट का अधिकार मिले, वोट करने की सुविधा मिले, हम इलेक्शन कमीशन से बात करें और इस दृष्टि से कि अगर उनके राशन-कार्ड जल गए हैं, आइडेंटिटी कार्ड उनके नहीं हैं, उसके लिए भी कोई न कोई व्यवस्था इलेक्शन कमीशन से करवाएँ। यह हमारा उनसे अनुरोध होगा और मुझे विश्वास है कि इलेक्शन कमीशन इस मामले में समुचित व्यवस्था करेगा।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मनमोहन सिंह जी ने आंकड़े पूछे। मैं आंकड़े दे सकता हूँ, पूरे के पूरे आंकड़े भेज सकता हूँ, लेकिन मुझे संदेह यह है कि आपने जिस प्रकार से, हमारे अरुण जेटली जी ने कुछ कहा तो आपने कुछ भी स्टैटिस्टिक जोटआऊट किए, वह स्थिति न बने। यह आंकड़े जुलाई के महीने तक के हैं। जैसे कितने मकान क्षतिग्रस्त हैं?...(व्यवधान)...

श्री राजू परमार (गुजरात) : यह आंकड़े किसने पब्लिश किए हैं? इसका सोर्स क्या है?...(व्यवधान)...

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : 21,362 हाऊसेस डेमेज हुए।...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : माननीय मंत्री जी, यह तो इन्हें बता दीजिए कि किसके द्वारा यह प्रकाशित हुए? यह सरकार के द्वारा प्रकाशित हैं या किसी अन्य एजेंसी के द्वारा प्रकाशित हैं?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : सर, गुजरात सरकार के द्वारा।...(व्यवधान)...

श्री राजू परमार : अच्छा, मैं आपसे यह पूछता हूँ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : नहीं, नहीं। आप बैठिए।

SHRI RAJU PARMAR: Sir, we have a right to ask...(Interruptions)...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : आपके सवाल का जवाब आ गया।...(व्यवधान)...

श्री राजू परमार : यह बीजेपी एमपीज़ को दिया गया, किसी कांग्रेस के एमपीओ को नहीं दिया गया।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : परमार साहब, यह उचित नहीं है। आप बैठिए। आपके सवाल का जवाब आ गया है कि यह आंकड़े जो हैं वह गुजरात सरकार की तरफ से हैं। अब आप देखिए, बीच में व्यवधान मत डालिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : परमार जी, आप स्पेसिफिक केस मुझे लिखकर दे दीजिए तो मेरा भी अधिकार है उनसे पूछने का और मैं जरूर पूछूंगा।

श्री राजू परमार : सर, यह सिर्फ बीजेपी के एम0पी0 को दिया गया, जो कल भी लोकसभा में कोट हुआ, हमारे कांग्रेस के एक भी एम0पी0 को नहीं दिया गया ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं आपको दे दूंगा, अगर आप चाहें तो । ...*(व्यवधान)*...

श्री राजू परमार : वहां मुख्य मंत्री ने इंस्ट्रक्शन दिया था कि सिर्फ बीजेपी के एम0पी0 को दिया जाए, कांग्रेस के एम0पी0 को न दिया जाए । ...*(व्यवधान)*...

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : परमार जी, हम इस बात को समझ रहे हैं कि गुजरात में हमको सीहार्द लाना है । इस प्रकार से हम सीहार्द नहीं ला सकते हैं ।

महोदय, नारीमन जी ने सही कहा, यह चुनाव सितंबर में हों या अक्टूबर में हों या फरवरी में हों, चुनाव तो होंगे और चुनाव कभी भी हों रेहटोरिक उससे समस्या हल नहीं होती । हमारा उद्देश्य यह है कि वहां पर केवल मात्र शांति न हो बल्कि वहां पर आम लोगों में सीहार्द पैदा होना चाहिए, आम लोगों में सुरक्षा का भाव पैदा होना चाहिए और जब तक यह नहीं होता तब तक हमें संतोष नहीं होगा । मैं आपको बता सकता हूँ कि जब पंजाब में चुनाव हुए थे तब वहां हिंसा भी बंद नहीं हुई थी, लेकिन चुनाव होने से कुछ भिन्नकर वहां लाम हुआ, सीहार्द पैदा हुआ । इसलिए गलतफहमी में मत रहिए । ...*(व्यवधान)*...

SHRI C. RAMACHANDRAIAH (Andhra Pradesh): Sir, what is this?...*(Interruptions)*...Let the hon. Dy. Prime Minister reply...*(Interruptions)*...We have been sitting here as silent spectators...*(Interruptions)*...They cannot hold the House to ransom...*(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : सही बात है । ...*(व्यवधान)*... प्लीज, मीणा जी, बैठिए ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उपसभाध्यक्ष जी, जेठमलानी जी ने एक सवाल पूछा, शायद वह और लोगों के मन में भी होगा क्योंकि यह एक विवाद घटा है कि 6 महीने कब पूरे होते हैं ? पिछला विधान सभा सेशन जो था उसका लास्ट सेशन जो हुआ उससे 6 महीने पूरे होते हैं या नई विधान सभा बनेगी उससे 6 महीने होते हैं । वैसे कानूनी विशेषज्ञ यहां बहुत बैठे हैं । नारीमन जी सबसे बड़े हैं और यहां पर सिब्ल जी बैठे हैं, दूसरे बैठे हैं । उनकी राय अपनी अपनी होगी, लेकिन मैं मानता हूँ कि इस मामले में रिप्रजेंटेशन आफ पीपुल एक्ट इलेक्शन कमीशन को अधिकार देना है निर्णय करने का, कि कौनसी तारीख होगी और वह निर्णय करते हुए चुनाव आयोग निश्चित रूप से जो भी संविधान के प्रावधान हैं, उनको ध्यान में रखकर निर्णय करेगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है और वह जो भी निर्णय करेगा, उसी के अनुसार चुनाव होंगे ।

श्री नीलोत्पल बसु : सर, मेरा एक स्पेसिफिक सवाल था ...*(व्यवधान)*...

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : आपका स्पेसिफिक सवाल है कि असेम्बली का सेशन क्यों नहीं बुलाया ? हो सकता है कि मुख्य मंत्री के सामने यह सवाल आता तो वे बता देते, लेकिन मैं नहीं बता सकता । मुख्य मंत्री को अधिकार है, जब वह बुलाना चाहे, बुलाए और उन्होंने नहीं

बुलाया। कभी-कभी लगता है कि आज की स्थिति में जब पूरी की पूरी सरकार वहां के रॉयट्स को रोकने में लगी हुई है, उस समय में विधान सभा के चुनाव ...(व्यवधान)...में नहीं जानता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : नहीं, नहीं, परमार साहब अब नहीं। ...(व्यवधान)...अब आप बैठिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : बालकवि बैरागी जी ने सुझाव दिया है, वैसे मैं कहूंगा कि श्री के०पी०एस० गिल ने वहां जाकर बहुत अच्छा योगदान दिया और उसके कारण वहां पर शांति स्थापना में और हिंसा खत्म करने में मदद मिली और अगर कहीं-कहीं पर ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : अब आप लोग बैठिए। ...(व्यवधान)...

श्री मूल चन्द मीणा : आप असत्य बोल रहे हैं, वहां आज भी दंगे हो रहे हैं। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : अब आप लोग बैठिए। ...(व्यवधान)...मीणा साहब, बैठिए। अबरार साहब, आप भी बैठिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : कुछ लोगों के मन में जो संदेह था, उन्होंने उस संदेह का भी निराकरण किया कि श्री के०पी०एस० गिल का जो अनुभव है, वह अनुभव ऐसा है कि जिसके आधार पर कहीं पर भी यदि इस प्रकार की दुर्गम स्थिति पैदा होती है तो उसको ठीक करने में वे सहायक होते हैं। ...(व्यवधान)...हां, उनका तो सुझाव है कि जिस समय चुनाव हों, तब भी उनको भेज दीजिए। ...(व्यवधान)...

मीलाना ओबैदुल्लाह खान आजमी : मैंने गौरव यात्रा के बारे में पूछा था, उसके बारे में भी बता दीजिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : वहां पर जो हिंसा हुई, बेगुनाह हिन्दू-मुसलमान मारे गए, उनकी हत्या को आपने कहा, किसी ने अच्छा कहा, किसी ने बुरा कहा। तो मैं कहना चाहता हूं कि किसी ने अच्छा नहीं कहा, सबने बुरा कहा, एक मत से बुरा कहा और देश की भावनाओं को प्रकट करते हुए ...(व्यवधान)...

मीलाना ओबैदुल्लाह खान आजमी : अशोक सिंहल साहब ने क्या कहा था ? ...(व्यवधान)...

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : एक मिनट, आप बैठिए मीलाना साहब, मेरी बात सुनिए। मीलाना साहब, आप मेरे विचार जानते हैं। प्रधान मंत्री ने जो कुछ कहा, मैंने जो कुछ कहा, इस सदन में भी कहा, उस सदन में भी कहा। कल हमारे विपक्षी दल की ओर से साइट किया गया और कहा गया कि क्या स्वयं प्रधान मंत्री ने और गृह मंत्री ने यह बात नहीं कही। सही कहा, किसी को भी शर्म आएगी, शर्म की बात है, इसको कौन अच्छा कहेगा, लेकिन हां, अगर कोई यह कहता है, जैसे किसी ने कहा कि हजारों स्त्रियों का बलात्कार हुआ है, तो ऐसी भाषा बोलने से निश्चित रूप से ...(व्यवधान)...आजमी साहब, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपके लिए नहीं कहता हूं। ...(व्यवधान)...

मीलाना ओबैदुल्लाह खान आजमी : किसी ने नहीं कहा । ...*(व्यवधान)*...

श्री मूल चन्द मीणा : किसी ने नहीं कहा । ...*(व्यवधान)*...

श्रीमती सरोज दुबे : हजारों के साथ नहीं पर सैकड़ों के साथ तो हुआ । ...*(व्यवधान)*...

श्री खान गुफ़रान जाहिदी (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, हमें आपका संरक्षण चाहिए । ...*(व्यवधान)*... किसी ने ऐसा नहीं कहा । ...*(व्यवधान)*...

श्री सुरेश पचौरी : उपसभाध्यक्ष महोदय, यह मेरा प्रश्न था, मैंने यह कहा था कि कई स्त्रियों ने उनके साथ बलात्कार और जुल्म-ओ-सितम की शिकायत की है, उनकी एफओआईओआरओ नहीं लिखी जा रही है, क्या केन्द्र सरकार की तरफ से ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि राज्य के जिन अधिकारियों ने शिकायत नहीं लिखी हो और जो खुद उस जुल्म-ओ-सितम के लिए जिम्मेदार हैं, केन्द्र सरकार उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी ? मैंने यह कहा है, मैंने हजारों स्त्रियों शब्द नहीं बोला है, मैंने कई स्त्रियों शब्द बोला है ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : सुरेश पचौरी जैसे व्यक्ति कभी ऐसी बेजबाबदारी वाली बात नहीं कह सकते, मैं जानता हूँ, सवाल ही नहीं है । मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन मैंने स्वयं अपने कानों से सुना है, एक बहुत सम्माननीय व्यक्ति को यह कहते हुए और जब वे ऐसी बात कहते हैं कि गुजरात में हजारों स्त्रियों का बलात्कार हुआ तो ...*(व्यवधान)* ...

श्री मूल चन्द मीणा : उपसभाध्यक्ष जी, यह किसी ने कहा ही नहीं । ...*(व्यवधान)* ...

श्री राजू परमार : आप यह बता दीजिए कि यह किसने कहा था ? ...*(व्यवधान)* ...

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उपसभाध्यक्ष जी, गौरव यात्रा की बात कही गई, गौरव यात्रा की बात का मैं जवाब दे रहा हूँ । ...*(व्यवधान)* ...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : सरोज दुबे जी, बैठिए ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : गौरव यात्रा की बात इस तरह से निकली कि कुछ लोगों को लगा कि गुजरात की सब जगह बदनामी हो रही है । हम बताना चाहते हैं कि गुजरात ऐसा प्रदेश है जिस प्रदेश ने महात्मा गांधी दिया, सरदार वल्लभभाई पटेल दिए ...*(व्यवधान)* ... हमको लगा कि जिस वातावरण में गौरव यात्रा की जा रही थी, अगर कहीं कोई घटना हो जाए तो उस घटना के कारण दोष आएगा । इसलिए हमने उनको सलाह दी । उन्होंने सलाह-मशविरा किया ...*(व्यवधान)* ...

SHRI KAPIL SIBAL : Mr. Deputy Prime Minister, Sir, you have not answered any of my questions. ...*(Interruptions)*...

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उपसभाध्यक्ष महोदय, सरला माहेश्वरी जी ने, सरोज जी ने महिलाओं के साथ हुए अत्याचारों के बारे में जो बातें कहीं, इस बारे में मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि 4 महिलाओं के साथ या 10 महिलाओं के साथ अगर बलात्कार होता है तो यह भयंकर अपराध है और इस भयंकर अपराध का परिमार्जन करना चाहिए और इसके लिए दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए ...*(व्यवधान)* ...

श्री राजू परमार : आपके जार्ज फर्नान्डीज ने क्या बोला था कि ऐसा तो होता ही रहता है...(व्यवधान) ...

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे इस विषय में और कुछ नहीं कहना है ।

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, I asked you about article 355. ...*(Interruptions)*... You did not answer any of my questions. ...*(Interruptions)*...

SOME HON. MEMBERS: No; No. ...*(Interruptions)*... Shame; shame. ...*(Interruptions)*...

(At this stage, some hon. Members left the Chamber.)

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : अभी माननीय गृह मंत्री जी अल्पकालिक चर्चा का जवाब दे रहे थे । चर्चा समाप्त हुई । अब हम दूसरी मद लेते हैं ।

GOVERNMENT BILLS

THE INDIAN MEDICINE CENTRAL COUNCIL (AMENDMENT)

BILL, 2002

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE (SHRI A. RAJA) : Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Indian Medicine Central Council Act, 1970.

प्रस्ताव पर मत लिया गया और वह पारित हुआ

SHRI A. RAJA: Sir, I introduce the Bill.

THE PREVENTION OF MONEY LAUNDERING BILL, 1998

THE MINISTER OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI JASWANT SINGH) : Sir, I beg to move:

"That the Bill to prevent money-laundering and to provide for confiscation of property derived from, or involved in, money-laundering and for matters connected therewith or incidental thereto, as reported by the Select Committee, be taken into consideration."

Sir, the Prevention of Money Laundering Bill, 1998, was introduced in the Twelfth Lok Sabha, and, thereafter, referred to the Standing